इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 426] भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 जुलाई 2018—श्रावण 8, शक 1940

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र.एफ 1–59/2018/20–1:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) से संबंधित निम्नलिखित सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018" है।

(2) ये नियम दिनांक 01 जुलाई 2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं–** इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अनुसूची–एक के कॉलम क्रमांक (6) में अंकित नियुक्ति प्राधिकारी है;

(ख) "अध्यापक संवर्ग" से अभिप्रेत है स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2008 तथा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2008 के अधीन नियुक्त अध्यापक संवर्ग;

(ग) "आयुक्त" से अभिप्रेत है आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश;

(घ) "विभाग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग;

(ड) "विभागीय परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन पदोन्नति के लिये आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय परीक्षा;

(च) "विभागीय पदोन्नति समिति" से अभिप्रेत है इस नियम के अर्न्तगत विनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति;

(छ) "संचालक" से अभिप्रेत है संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश;

(ज) "परीक्षा अभिकरण" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन संचालित पात्रता परीक्षा या विभागीय परीक्षा के संचालन के लिये शासन द्वारा निर्धारित अभिकरण;

(झ) "शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;

(त्र) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ट) "अतिथि शिक्षक" से अभिप्रेत है प्रदेश की शासकीय शालाओं में अध्यापन कार्य के उददेश्य से रिक्त पदों के विरूद्ध मानदेय पर अस्थाई रूप से अध्यापन कार्य हेतु रखे गये व्यक्ति;

(ठ) "स्थानीय निकाय" से अभिप्रेत है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन जिला पंचायत तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन नगर पालिक निगम, नगर पालिका और नगर परिषद;

(ड) "अन्य पिछडा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथा संधोधित अधिसूचना कमांक एफ–8–5–XXV–4–84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडा वर्ग;

(ढ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ण) "अनुसूचित जातियों" से अभिप्रेत हैं, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जनजाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के रूप में विर्निदिष्ट किया गया है;

(त) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विर्निदिष्ट किया गया है;

(थ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है इस नियम के अर्न्तगत विनिर्दिष्ट चयन समिति;

(द) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(ध) "शिक्षक पात्रता परीक्षा" से अभिप्रेत है शैक्षणिक संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों के लिये आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा।

3. **विस्तार तथा लागू होना**–मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन–** यह सेवा निम्नलिखित व्यक्तियों से गठित होगी, अर्थात्:–

(1) "मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008" तथा "मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008" के अधीन 224 सामुदायिक विकासखण्डों में विभागीय

शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति जो नियम–5 के उप–नियम (1) के अनुसार नियुक्त किया गया हो।

(2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती से नियुक्त किये जावेंगे, अथवा पदोन्नति प्राप्त करते हैं।

5. भर्ती का तरीका :–

(1) इन नियमों के प्रवृत होने के पश्चात "मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008" तथा "मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008" के अधीन 224 सामुदायिक विकासखण्डों में विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं में नियुक्त और अन्य विहित अर्हताओं की पूर्ति करने वाले वर्तमान में कार्यरत व्यक्ति विभाग में सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय नियुक्त किये जाएगें। इन व्यक्तियों के नियुक्ति आदेश अनुसूची–एक के कॉलम (6) में उल्लेखित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन द्वारा विर्निदिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जारी किये जाएंगे:

परन्तु नियम–2 की खण्ड (ख) में उल्लेखित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को इस उप नियम के अंतर्गत नियुक्त नही किया जाएगा ।

(2) मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 और मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के उपधीन नियुक्त सहायक अध्यापक, अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक को क्रमशः प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

(3) सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला), सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) एवं सहायक अध्यापक (गायन/वादन) को क्रमशः प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक श्रेणी–अ तथा गायन/वादन शिक्षक श्रेणी–अ के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

(4) उप नियम (1), (2) एवं (3) के अनुसार नियुक्ति के पश्चात् इस सेवा में आगामी भर्ती निम्नलिखित तरीके से की जाएगी,अर्थात् :–

(क) सीधी भर्ती के अंतर्गत पात्रता परीक्षा द्वारा चयन।

(ख) पदोन्नति द्वारा।

6. वर्गीकरण, वेतनमान आदि– पदों का वर्गीकरण, वेतनमान, उससे संलग्न पे–बैण्ड तथा सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी ।

परंतु शासन, पदों की संख्या में समय–समय पर स्थायी या अस्थायी आधार पर कमी या वृद्धि कर सकेगा।

7. **पदों पर नियुक्ति**–इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी संवर्ग में उदभूत रिक्तियों पर सभी नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम–5 में विर्निदिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के सिवाय नहीं की जायेगी ।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें**:– शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थातः–

(1) **आयुः**–

(क) अभ्यर्थी ने चयन प्रक्रिया के प्रारंभ की तारीख के पश्चात आने वाली एक जनवरी को अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विर्निदिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) यथा विर्निदिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, महिला एवं दिव्यांग वर्ग का हो तो विहित अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार प्राप्त होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश शासन, निगम मण्डल के कर्मचारी है, या रह चुके है अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार होगी;

(घ) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, को अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि को कम करने की अनुमति दी जाएगीः

परन्तु उसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :–शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत शासन के अधीन कम से कम छः माह तक निरंतर सेवा में रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई (यूनिट) की सिफारिश के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कटौती किये जाने के कारण जिसकी छटनी की गई हो अथवा जिसे अतिरिक्त घोषित किया गया हो–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें कि समय से पूर्व निवृत्ति रियायतो (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध की अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्ते पूरी हो जाने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पअवधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है जिन्हें उनकी संविदा के पूरी होने पर सेवामुक्त किया गया हो;

(5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात सेवा मुक्त कर दिया गया हो;

(6) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किये गए भूतपूर्व सैनिक;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं है;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो;

(ङ) अनुसूचित जाति के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरूस्कार प्राप्त सवर्ण पति/पत्नि के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी।

(च) विक्रम पुरूस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में छूट सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी।

(छ) मध्यप्रदेश शासन के शासकीय शालाओं में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस का कार्य अनुभव प्राप्त हो को अधिकतम आयु सीमा में 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

(ज) उक्त के अतिरिक्त मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आयु संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं:–**

शैक्षणिक अर्हताएं अनुसूची–तीन के कॉलम क्रमांक–(5) अनुसार होना चाहिये। परंतु–

(क) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन शिक्षकों के पदों के लिये निर्धारित शैक्षणिक एवं शिक्षण–प्रशिक्षण योग्यता को छोड़कर आपवादिक मामलों में शासन ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा जो यद्यपि इन नियमों में विहित कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिसके कारण शासन अभ्यर्थी को चयन के योग्य समझती हो।

(ख) उन अभ्यर्थियों के चयन के लिये भी शासन अपने विवेकानुसार विचार कर सकेगा, जो अन्यथा अर्ह हों, किन्तु जिन्होनें ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो,जो शासन द्वारा विर्निदिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हो।

(3) **शिक्षक पात्रता परीक्षा**–शिक्षकों के सीधी भर्ती के पदो के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, नियम–11 के उप नियम (5) के अनुसार निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(4) **फीस:**–उम्मीदवार को शासन द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हताएं:–

(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, शासन द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जा सकेगा;

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा;

(3) कोई भी अभ्यर्थी, जो किसी ऐसे अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंर्तग्रस्त हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा:

परन्तु जहां उम्मीदवार के विरूद्ध ऐसे मामले लंबित हो तो वहां ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।

(4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये प्रावधान एंव समय–समय पर शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हताए अभ्यर्थियों के लिये लागू होंगे।

(5) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो यदि जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा;

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य नहीं होगा।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में शासन का विनिश्चय अंतिम होगा–

अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में शासन का चयन/परीक्षा में प्रवेश के लिये उनका विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे शासन द्वारा प्रवेश का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

11. सीधी भर्ती में चयन तथा नियुक्ति की पद्धति –

(1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक, खेलकूद शिक्षक श्रेणी–ब, गायन वादन शिक्षक श्रेणी–ब एवं प्रयोगशाला शिक्षक के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

(2) "शिक्षक पात्रता परीक्षा" जो इसमें इसके पश्चात् "पात्रता परीक्षा" के नाम से निर्दिष्ट है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विहित किए गए अनुसार संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। पात्रता परीक्षा की वैधता परिणाम की घोषणा होने के पश्चात् दो वर्ष के लिए या अगली पात्रता परीक्षा आयोजित होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी।

(3) शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिये प्राधिकृत अभिकरण यथा विहित परीक्षा लेने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा परीक्षा की स्कीम को समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा ।

(4) पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए शैक्षणिक अर्हता, अनुसूची–तीन में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी।

(5) शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा :–

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ दिव्यांग व्यक्ति	अन्य
(1)	(2)
50 प्रतिशत	60 प्रतिशत

(6) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध, इन पदों पर नियुक्ति के लिये लागू होगें।

(7) **(क)** मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक –एफ–6–1/2002/आ0 प्र0/एक, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 और राज्य शासन द्वारा, समय–समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित किए जाएंगे।

(ख) रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिये निम्नानुसार आरक्षण रहेगा :–

(एक) महिला अभ्यर्थियों के लिए 50% पद आरक्षित रखे जाएंगे;

(दो) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुसार 6 प्रतिशत पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिये 1.5 प्रतिशत की सीमा में निम्नानुसार रहेगा:–

(1) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि।

(2) बहरे और कम सुनने वाले।

(3) लोकमोटर डिसेबिलेटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त,बौनापन,एसिड अटेक पीड़ित, मसकुलर डिस्ट्रॉफी सम्मिलित है।

(4) बहुविकलांगता उपरोक्तानुसार (1), (2) एवं (3) को सम्मिलित करते हुये।

(तीन) भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10%;

(चार) शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिये आरक्षित की जायेगी, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है :

परन्तु अतिथि शिक्षक के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(पांच) अन्य किसी ऐसे प्रवर्ग के लिये जो शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए.

(8) नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(9) चयन का मापदण्ड :–
नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गो के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिका आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(10) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के संबंध रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सकें, तो शेष रिक्तियां बिना राज्य शासन की पूर्व अनुमति से किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जाएंगी और उन रिक्तियों को अगले चयन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त रखा जाएगा ।

12. नियुक्ति की प्रक्रिया एवं चयन सूची तैयार करना :–

(1) इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती के पदों के नियुक्ति एवं चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया शासन द्वारा विर्निदिष्ट की जाएगी।

(2) इन नियमों में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के बारे में उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने संबंधी तथ्य से ही उसे नियुक्ति के लिये तब तक कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि आवश्यक समझी जाए, यह समाधान न हो जाए, कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी, किन्तु शासन की अनुमति से यह अवधि छह माह तक बढ़ाई जा सकेगी।

13. परिवीक्षा–

सीधी भर्ती के अधीन नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में संबंधित लोक सेवक को उस पद के लिये निर्धारित वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत वेतन वृद्धि नियमानुसार प्रदाय की जाएगी। परिवीक्षा अवधि में असफल होने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी। इसके उपरांत भी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त लोक सेवक की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति–

(1) समिति उन सभी लोक सेवकों के मामलों पर विचार करेगी, जो पदोन्नत पद के लिए निर्धारित योग्यता धारित करते हों तथा जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को उन पदों पर, जिससे पदोन्नति की जानी है, कम से कम उतने वर्षो की अर्हकारी सेवा, जो अनुसूची चार के कॉलम (4) में **विहित** अनुसार पूर्ण कर ली हो तथा जो शासन द्वारा विर्निदिष्ट संनियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार पात्र पाये गये हो।

(2) अनुसूची–एक में अनुक्रमांक–1 के सामने उल्लिखित प्राचार्य हाईस्कूल की पदोन्नति के लिये विभागीय परीक्षा में न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जैसा कि शासन द्वारा विर्निदिष्ट किया जाए। तत्पश्चात् इन लोक सेवकों की पदोन्नति वरिष्ठता सह–उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी।

(3) इन नियमों के प्रभावशील होने के उपरांत नियम–5 के उपनियम (4) के खण्ड (क) के अधीन सीधी भर्ती के अंतर्गत नवीन नियुक्त किये गये शिक्षकों में से वे ही शिक्षक पदोन्नति हेतु पात्र होगें जिन्होनें ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(4) इस सेवा के सदस्यों के पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये अनुसूची–चार के कॉलम (5) में यथावर्णित समिति गठित की जाएगी। समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

(5) ऐसे पदों पर, जिन पर अनुसूची–दो में यथाविर्निदिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति की जाना है, नियम–14 के उपनियम (1) एवं (2) के प्रावधानों के अतिरिक्त शेष प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियम/अनुदेश के अनुसार होगी।

(6) पदोन्नति के लिए गोपनीय चरित्रावली को भी संज्ञान में लिया जाएगा एवं गोपनीय चरित्रावली में प्रतिकूल टिप्पणी होने पर पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(7) पदोन्नति/क्रमोन्नति के प्रकरणों पर विचार करते समय सेवा अवधि की गणना शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

15. पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :–

(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे योग्य व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम–14 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियम/अनुदेश के अनुसार, सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गए हों। यह चयन सूची, तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण उदभूत् हुयी प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। उक्त सूची के साथ दो लोक सेवकों अथवा रिक्तियों के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, से मिलकर बनने वाली एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी।

(2) चयन सूची तैयार करने के मापदण्ड पदोन्नति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियम/अनुदेश तथा समय समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होंगे।

(3) चयन सूची में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों के नाम अनुसूची–चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा/पदों में उनकी वरिष्ठता अथवा उस क्रम में रखे जायेंगे जैसा कि शासन द्वारा इस संबंध में विर्निदिष्ट किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:– ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य के आधार पर ही उसका उन लोगो

के उपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है वरिष्ठता का दावा नही रखेगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) यदि चयन पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में राज्य/अधीनस्थ सिविल सेवा में किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाये तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये उसके कारण अभिलिखित करेगी।

16. पदोन्नति समिति में प्रतिनिधित्वः–

यदि पदोन्नति/चयन द्वारा भरे जाने वाले पदो के संबंध में पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोडकर नाम निर्दिष्ट सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तब उसी प्रवर्ग के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य जो उसी स्तर का या उसके उच्चतर स्तर का होगा, पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढाई जाएगी।

17. वरिष्ठता का निर्धारणः–

(1) प्राथमिक शिक्षक का जिला स्तरीय संवर्ग होगा। इस संवर्ग में नियम–5 के उपनियम (1), (2) एवं (3) के अधीन नियुक्त सदस्यों की वरिष्ठता का निर्धारण जिला स्तर पर अध्यापक संवर्ग में उनकी नियुक्ति आदेश दिनांक एवं चयन सूची के क्रम अनुसार, जिला स्तर पर संदर्भ सूची तैयार कर किया जाएगा। एक ही वरिष्ठता क्रम पर एक से अधिक व्यक्ति आते है तो, जिसकी आयु अधिक होगी उसे वरिष्ठ माना जायेगा एवं कम आयु वाले को उसके नीचे रखा जाएगा। नियुक्ति आदेश दिनांक, चयन सूची का क्रमांक एवं जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अध्यापक के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण किया जाकर नियुक्तिकर्तावार संदर्भ सूची तैयार कर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा।

(2) प्रत्येक संवर्ग की अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन उनके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जारी अंतरिम वरिष्ठता सूची में 15 दिवस की समय सीमा में संबंधितों से दावे/आपत्तियां प्राप्त कर नियमानुसार वरिष्ठता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाएगा।

(3) अध्यापक संवर्ग में एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन किए गए अध्यापकों की संबंधित नवीन निकाय में पदभार ग्रहण करने की दिनांक से वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा।

(4) प्रत्येक संवर्ग की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन प्रथम बार इस नियम के प्रवर्त होने के तीन माह के भीतर और इसके बाद प्रतिवर्ष 01 अप्रैल की स्थिति में किया जाएगा।

(5) माध्यमिक शिक्षक का संवर्ग संभाग स्तरीय होगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण संभाग स्तर पर उपरोक्त उपनियम (1) के अनुसार किया जाएगा।

(6) उच्च माध्यमिक शिक्षक का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण संचालनालय स्तर पर उपरोक्त उपनियम (1) अनुसार किया जाएगा।

(7) वरिष्ठता निर्धारण संबंधी उदभूत स्थिति का निराकरण हेतु शासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

18. सेवा की अन्य शर्तें:–

(1) स्थानीय निकाय के अध्यापक संवर्ग के व्यक्तियों को शासन द्वारा विहित किये गये अनुसार इस सेवा में नियुक्ति के लिये परिशिष्ट–एक अनुसार विकल्प देना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं देने पर नियम–5 के उपनियम (1), (2) एवं (3) अनुसार नियुक्ति की पात्रता प्राप्त नहीं होगी ।

(2) इस सेवा में नियम–5 के उपनियम (1), (2) एवं (3) के तहत नियुक्त किये गये अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति इस नियम के प्रभावशील होने के पूर्व की अवधि के वेतनमान, भत्तों एवं योजना आदि को इस सेवा के संदर्भ में प्राप्त करने के हकदार नही होगें।

(3) शासन द्वारा शालाओं में उपस्थिति दर्ज कराने तथा ड्रेस कोड के संबंध में जो भी अनुदेश समय–समय पर जारी किये जाएं, वे इन नियमों के अधीन नियुक्त और पदोन्नत किये गये व्यक्ति पर बाध्यकारी होंगे।

(4) इन नियमों के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का सं. 35) की धारा–24 में यथा विहित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अर्थात् :–

(एक) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन;

(दो) पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना ;

(तीन) विर्निदिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना;

(चार) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तद्नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण,यदि कोई हो, जोड़ना;

(पांच) माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने

का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना; और

(छह) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जाए।

(5) इन नियमों के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति के कार्य निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन इस निमित्त शासन द्वारा अधिसूचित किए गए निर्देश अनुसार किया जाएगा।

19. **निर्वचनः–**
यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण–**
इन नियमों में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसको ये नियम लागू होते है, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा उचित प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला, ऐसी रीति में नही निपटाया जायेगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिये, कम अनुकूल हो ।

21. **व्यावृत्ति–** इन नियमों में कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडा वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबन्ध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथीलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन तथा व्यावृत्तिः**–इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू समस्त नियम, इसके द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते है:

परन्तु इस प्रकार निरस्त नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कुमार शर्मा, अपर सचिव.

अनुसूची–एक

(नियम–5 देखें)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्तिकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्राचार्य हाईस्कूल	1050	द्वितीय श्रेणी	9300–34800+ 4200 ग्रेड–पे	आयुक्त लोक शिक्षण	–
2.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	34789	द्वितीय श्रेणी	9300–34800+ 3600 ग्रेड–पे	आयुक्त लोक शिक्षण	–
3.	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	250	द्वितीय श्रेणी	9300–34800+ 3600 ग्रेड पे	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण	–
4.	माध्यमिक शिक्षक	60,686	तृतीय श्रेणी	9300–34800+ 3200 ग्रेड पे	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण	–
5.	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	250	तृतीय श्रेणी	9300–34800+ 3200 ग्रेड पे	जिला शिक्षा अधिकारी	–
6.	प्राथमिक शिक्षक	1,25,243	तृतीय श्रेणी	5200–20200+2400 ग्रेड पे	जिला शिक्षा अधिकारी	–
7.	खेलकूद शिक्षक (श्रेणी अ)	860	तृतीय श्रेणी	5200–20200+2400 ग्रेड पे	जिला शिक्षा अधिकारी	नियम 5 (3) के अनुसार नियुक्त।
8.	खेलकूद शिक्षक (श्रेणी ब)	931	तृतीय श्रेणी	9300–34800+ 3200 ग्रेड पे	जिला शिक्षा अधिकारी	सीधी भर्ती अंतर्गत भरे जाने वाले पदों के लिये ।
9.	प्रयोगशाला शिक्षक	8515	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ 2400 ग्रेड पे	जिला शिक्षा अधिकारी	

10.	गायन/वादन शिक्षक (श्रेणी अ)	150	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ 2400 ग्रेड पे	जिला शिक्षा अधिकारी	नियम 5 (3) के अनुसार नियुक्त।
11.	गायन/वादन शिक्षक (श्रेणी ब)	700	तृतीय श्रेणी	9300–34800+ 3200 ग्रेड पे	जिला शिक्षा अधिकारी	सीधी भर्ती अंतर्गत भरे जाने वाले पदों के लिये ।

टीप–

1. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षित नियम, 2017 के अनुसार दिनांक 01.07.2018 से वेतनमान निर्धारित होगा।

अनुसूची–दो

(नियम 5 और 14 देखें)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राचार्य हाईस्कूल	1050	—	100 प्रतिशत
2.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	34789	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
3.	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	250	—	100 प्रतिशत
4.	माध्यमिक शिक्षक	60686	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
5.	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	250	--	100 प्रतिशत
6.	प्राथमिक शिक्षक	125243	100 प्रतिशत	--
7.	खेलकूद शिक्षक (श्रेणी अ)	931	100 प्रतिशत	--
8.	खेलकूद शिक्षक (श्रेणी ब)	860	100 प्रतिशत	--
9.	प्रयोगशाला शिक्षक	8515	100 प्रतिशत	--
10.	गायन/वादन शिक्षक (श्रेणी अ)	150	100 प्रतिशत	--
11.	गायन/वादन शिक्षक (श्रेणी ब)	700	100 प्रतिशत	--

टीप– सरल क्रमांक 2, 4, 6, 7, 9 एवं 10 के पदों की संख्या में नियम 5 (1), (2) एवं (3) के तहत नियुक्त व्यक्तियों की संख्या सम्मिलित हैं।

अनुसूची–तीन

(नियम 8 देखें)

सीधी भर्ती आयु तथा पात्रता

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड. या उसके समकक्ष.	1.निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रतापरीक्षा उत्तीर्ण। 2.संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी।
2.	माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एड.) अथवा संबंधित विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय–समय पर	1.निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्तसंस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी।

				जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि (बी.एड.) अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक (बी.एल.एड.) अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्ड्री अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में चार वर्षीय स्नातक उपाधि बी.ए/बी. एससी.बी.एड या बी.ए. एड/बी.एससी.एड. अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) (2) आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	

3.	प्राथमिक शिक्षक	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष. अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.) जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढाने के लिये अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किन्तु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। अथवा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा	1.निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी।

				परिषद (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्ष का डिप्लोमा अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड.) अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष (2) आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	
4.	प्रयोगशाला शिक्षक	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित	विज्ञान विषय के साथ कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा या उसके	

			निर्देशानुसार	समकक्ष.	
5.	खेलकूद शिक्षक (श्रेणी ब)	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.ई) अथवा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में विज्ञान स्नातक (बी.एस.सी.) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 55 प्रतिशत अंको सहित खेलकूद में डिग्री अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार बी.पी.एड डिग्री/बी.पी. एड.(एकीकृत) चार वर्षीय व्यावसायिक डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंक अथवा कम से 55 प्रतिशत अंको सहित बी.पी.एड अथवा 13.11.2002 को अधिसूचित विनियम 2009 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिये आवेदन पत्र जमा कराने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिये मानदण्डों का	

				और मानकों का निर्धारण तथा नये पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिये अनुमति) विनियम 2002 के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित तीन वर्ष की अवधि का बी.पी.ई. पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कम से कम दो वर्ष की अवधि का एम.पी.एड. पाठ्यक्रम ।	
6.	गायन/वादन शिक्षक (श्रेणी ब)	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और बी.म्यूज/एम. म्यूज/विद्/कोविद् /रत्न या बी.म्यूज के समकक्ष।	

अनुसूची–चार

(नियम 14 देखें)

सरल क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है.	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है.	पद के लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	प्राचार्य हाईस्कूल	05 वर्ष	(1) आयुक्त लोक शिक्षण–अध्यक्ष (2) संचालक, लोक शिक्षण –सदस्य (3) अतिरिक्त संचालक / संयुक्त संचालक लोक शिक्षण –सदस्य (4)उप संचालक / सहायक संचालक–सदस्य सचिव	–
2.	माध्यमिक शिक्षक	उच्च माध्यमिक शिक्षक	05 वर्ष	(1) आयुक्त लोक शिक्षण–अध्यक्ष (2)संचालक, लोक शिक्षण –सदस्य (3) अतिरिक्त संचालक / संयुक्त संचालक लोक शिक्षण –सदस्य (4)उप संचालक / सहायक संचालक–सदस्य सचिव	–
3.	माध्यमिक शिक्षक	प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शाला)	05 वर्ष	(1) संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण –अध्यक्ष (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय –सदस्य सचिव (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	–
4.	प्राथमिक शिक्षक	प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला)	05 वर्ष	(1) जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी–अध्यक्ष। (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय –सदस्य सचिव । (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	–

5.	प्राथमिक शिक्षक	माध्यमिक शिक्षक	05 वर्ष	(1) जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी–अध्यक्ष। (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय –सदस्य सचिव । (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	

टीप :–

(1) ऐसे माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक जिसे शिक्षकों के राष्ट्रीय/राज्य योजना पुरस्कार के अर्न्तगत राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हो जाने पर उसे वरिष्ठ वेतनमान/क्रमोन्नत वेतनमान अथवा तदस्थानीय उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के उपरांत एवं पदोन्नति के योग्य पाये जाने पर इन नियमों के अधीन पारी बाहर पदोन्नति देय होगी।

(2) कॉलम–1 के अनुक्रमांक–1 पर अंकित प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले लोक सेवक की पदस्थापना अनिवार्य रूप से तीन वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में की जाएगी। इस अवधि में पदोन्नत लोक सेवक को शैक्षणिक प्रबंधन में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्रमाण पत्र देने वाली किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त सीमेट या भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर अथवा अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थाओं से एक माह का नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सीमेट द्वारा यह प्रशिक्षण किये जाने पर परियोजना क्रियान्वयन मॉड्यूल भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से बनवाया जाएगा। इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित पदोन्नत लोक सेवक को एक वर्ष का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित लोक सेवक को उसके पदोन्नति के पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

परिशिष्ट–एक

विकल्प का प्ररूप

[नियम–18 (1) (2) देखें]

मैं.....पदनाम–वरिष्ठअध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला), सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक), सहायक अध्यापक (गायन/वादन),शासकीय विद्यालय.....नियुक्तिकर्ता निकाय..... जिला.....वर्तमान में स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत हूं। मैं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के नियम–5, के उपनियम (1), (2), एवं (3), तथा नियम–18 के उपनियम (1) एवं उपनियम (2) में उल्लेखित प्रावधान के अधीन.....स्कूल शिक्षा विभाग में पद.....(उच्च माध्यमिक शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक/खेलकूद शिक्षक श्रेणी–अ/प्रयोगशाला शिक्षक/गायन/वादन शिक्षक श्रेणी–अ) पर नियुक्त करने का विकल्प देता हूं। नियमों में उल्लेखित प्रावधान एवं शर्ते मुझे मान्य होगी तथा मेरे द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त किये जाने के पश्चात मेरे द्वारा पूर्व की गई सेवा अवधि (अध्यापक संवर्ग के रूप में) के वेतनमान एवं भत्तों आदि की मांग इस सेवा के सन्दर्भ में नही की जायेगी।

अथवा

मैं.....पदनाम–वरिष्ठअध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक/सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला), सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक), सहायक अध्यापक (गायन/वादन) शासकीय विद्यालय.....नियुक्तिकर्ता निकाय.....जिला..... .....वर्तमान में स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत हूं। मैं यथावत् अपने मूल नियुक्तकर्ता निकाय.....(जिला पंचायत/नगर पालिक निगम/नगर पालिका/नगर परिषद) जिला..... .....में यथावत् बना रहना चाहता हूं।

हस्ताक्षर

दिनांक.....
स्थान.....
1.साक्षी का नाम एवं हस्ताक्षर
2.साक्षी का नाम एवं हस्ताक्षर

विकल्पकर्ता का नाम.....
पदनाम.....
कार्यरत संस्था का नाम.....
कार्यरत निकाय का नाम.....
जिला.....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, अतिरिक्त सचिव.

No. F 1-59/2018/20-1:: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the service conditions and recruitment to the Madhya Pradesh School Education Service (Teaching Cadre), namely:-

1. Short title and commencement. –

(1) These rules may be called the "Madhya Pradesh School Education Service (Teaching Cadre), Service Conditions and Recruitment Rules, 2018."

(2) These rules shall come into force from 1st July, 2018.

2. Definitions.– In these rules, unless the context otherwise requires,–

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the authority as shown in Column No.6 of Schedule 1;

(b) "Adhyapak Samvarg" means the persons appointed by and under control of local bodies under the "Madhya Pradesh Panchyat Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Service) Rules,2008 " and "Madhya Pradesh Nagriya Nikaya Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Service) Rules, 2008; "

(c) "Commissioner" means the Commissioner of Public Instructions, Madhya Pradesh;

(d) "Department" means the School Education Department, Government of Madhya Pradesh;

(e) "Departmental Examination" means the limited departmental examination so conducted under these rules for the purpose of promotion;

(f) "Departmental Promotion Committee" means the committee specified under these rules for promoting the members of the service;

(g) "Director" means the Director of Public Instructions, Madhya Pradesh;

(h) "Examination Agency" means an agency authorized by the State Government to conduct the eligibility examination or the departmental examination;

(i) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(j) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(k) "Guest Teacher" means a person engaged for the purpose of teaching in Government schools against vacant posts on a temporary basis on a honorarium ;

(l) "Local Bodies" means District Panchayat under the Panchayat and Rural Development Department and Municipal Corporation, Municipality, Municipal Council under the Urban Administration and Development Department;

(m) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of Citizens as specified by the State Government vide notification No.F-8-5-XXV-4-84 dated the 26th December, 1984 as amended from time to time;

(n) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(o) "Scheduled Castes" means the castes, races or tribes or part of or group within castes, races or tribes which shall for the purposes of this deemed to be Scheduled Castes as are assigned to them by Article 341 of the Constitution and are notified as such by the Government in relation to the Madhya Pradesh ;

(p) "Scheduled Tribes" means the tribes, races or tribal communities or part of the group within tribes or tribal communities, which shall for the purposes of this deemed to be Scheduled Tribes as are assigned to them by Article 342 of the Constitution and are notified as such by the Government in relation to the Madhya Pradesh ;

(q) "Selection Committee" means the selection committee specified under these rules;

(r) "State" means the State of Madhya Pradesh;

(s) "Teacher Eligibility Test" means the eligibility examination to be conducted for the posts of direct recruitment of the teaching cadre;

3. **Scope and application.**– Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Condition of Service) Rules,1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of Service.**– The Service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons appointed under the "Madhya Pradesh Panchayat Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Service) Rules, 2008" and "Madhya Pradesh Nagriya Nikaya Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Service) Rules, 2008", and serving in educational institutions of School Education Department in 224 Community Development Blocks who are appointed under the provisions of Sub Rule-1of Rule 5.

(2) Such persons who shall be appointed through direct recruitment or shall be promoted as per the provisions of these rules.

5. **Method of recruitment.**–

(1) After the commencement of these rules, the persons who have been appointed under "Madhya Pradesh Panchyat Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 and Madhya Pradesh Nagriya Nikaya Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Service) Rules,2008;" and are presently working in the educational institutions of School Education Department in 224 Community Development Blocks and possess other specified qualifications shall be appointed into the Department at the time of the initial constitution of the service. The appointment orders of such persons shall be issued by the Appointing Authority mentioned in column (6) of Schedule–I after following the procedure as specified by the Government:

Provided that no person other than those referred to in clause (b) of rule 2 shall be appointed under these rules.

(2) The Sahayak Adhyapak, Adhyapak and Varistha Adhyapak appointed under the provision of the "Madhya Pradesh Panchayat Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Service) Rules, 2008" and the "Madhya Pradesh Nagariya Nikaya Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Service) Rules, 2008" shall be appointed on the post of Prathmik Shikshak, Madhyamik Shikshak and Ucch Madhyamik Shikshak respectively.

(3) Sahayak Adhyapak (Prayogshala), Sahayak Adhyapak (PTI), and Sahayak Adhyapak (Vocal/Instrumental) shall be appointed on the post of Prayogshala Shikshak, Khelkood Shikshak Category A, and GayanVadan Shikshak Category A respectively.

(4) After making the recruitment under sub-rule (1), (2) and (3) the subsequent recruitment to the service shall be made by following methods, namely:-

(a) by selection through Eligibility Examination under direct recruitment.

(b) by promotion

6. **Classification, Pay-Band etc.**– The classification of the service and the pay-band attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I:

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or a temporary basis.

7. **Appointment to posts.**– After the commencement of these rules, vacancies in any of the cadres shall be filled by the Appointing Authority and no appointment

shall be made through methods of recruitment other than those mentioned in rule-5.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**– In order to be eligible for participating in the Teacher Eligibility Examination, a candidate must fulfill the following conditions, namely :-

(1) Age –

(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III, but must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January that comes after the date of commencement of the selection process.

(b) If the applicant is domicile of Madhya Pradesh and belongs to the category of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Persons with disabilities and Women he shall be entitled for relaxation in upper age limit as per the prevailing provisions of the Government of Madhya Pradesh.

(c) Those applicants who are or who have been employees of Madhya Pradesh Government, Corporation, Board shall be entitled for relaxation in upper age limit as per the prevailing provisions of the Government of Madhya Pradesh.

(d) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of entire defense service previously rendered by him:

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

Explanation.– The term "ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed

under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or on application made otherwise for employment in Government service, namely:-

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions.

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on,–

(a) completion of short term engagement;

(b) fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit.

(4) Officers (Military and Civil), discharged on completion of their contract, (including Short Service Regular Commissioned Officers).

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-service man invalidated out of service.

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds etc.

(e) The upper age limit shall be subject to relaxation as per norms of the General Administration Department in respect of an awarded upper caste partner of a couple under the Inter Caste Marriage Incentive Programme of the Scheduled Castes Welfare Department.

(f) The upper age limit shall be relax able in case of a "Vikram Awardee" as per the norms of the General Administration Department.

(g) The candidates who have worked as Guest Teacher in Government schools for minimum two hundred days and minimum three educational sessions shall be entitled up to nine years relaxation in maximum age limit.

(h) In addition to the above, the provisions issued by the General Administration Department, from time to time, in regard to age shall be applicable.

(2) **Educational qualifications**: Educational qualifications shall be as per column 5 of Schedule III.

Provided that,-

(a) Barring the provisions for educational qualifications under The Right Of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Government, in exceptional cases may treat a candidate as qualified who, though not possessing the qualifications prescribed in these rules, has passed examinations conducted by other institutions by a standard which, in the opinion of Government, justifies the consideration of the candidate for selection.

(b) The Government on its own discretion, may consider the cases of those candidates who are otherwise qualified but have received degree from a foreign University which is not designated as a University recognized by the Government.

(3) **Teacher Eligibility Examination.-** For direct recruitment on the post of teachers, it shall be mandatory to pass the Teachers Eligibility Examination with the percentage as prescribed in sub-rule (5) of Rule-11.

(4) Fees – The candidate shall pay the fees as prescribed by the Government.

9. Disqualifications –

(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held as disqualification for appearing in the examination/selection by the Government.

(2) Any candidate who has married before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for appointment to a post.

(3) Any candidate who has been convicted for an offence involving moral turpitude shall not be eligible for appointment to any post:

Provided that where cases as mentioned above are pending against a candidate, appointment shall be kept in abeyance till the final decision of the case.

(4) The provisions of Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 and all other disqualifications notified by the Government, from time to time shall be applicable to a candidate.

(5) No candidate shall be eligible for the appointment to any service or post who has more than two living children, one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified or ineligible for appointment to a service or post who has already one living child and in the next delivery which takes place on or after 26th day of January, 2001 two or more than two children are born.

10. Government's decision as to the eligibility of a candidate shall be final :-

The decision of the Government as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection/examination shall be final and a candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Government shall not be permitted to appear in the examination.

11. Procedure of Selection and Appointment through Direct Recruitment.-

(1) After the commencement of these rules, appointment to the post of direct recruitment of Prathmik Shikshak, Madhyamik Shikshak, Ucch Madhyamik Shikshak, Khelkood Shikshak category B, Gayan/Vadan category B and Prayogshala Shikshak shall be made in accordance with these rules.

(2) "Teacher Eligibility Examination", hereinafter referred to as "eligibility examination" shall be conducted for the recruitment of teachers in the prescribed manner. The eligibility examination shall be conducted by the agency designated by the Government. The validity of the eligibility examination shall be for a period of two years after the declaration of result or the conduct of the next eligibility examination, whichever is earlier.

(3) The agency authorized to hold eligibility examination for appointment of teachers shall advertise the procedure for application and the scheme of examination in the news papers.

(4) The educational qualifications for appearing in the eligibility examination shall be as specified in Schedule-III.

(5) The category wise minimum percentage of marks to qualify in the Teacher Eligibility Examination shall be as under, namely :-

Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Person with disabilities	Others
(1)	(2)
50%	60%

(6) The provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Evam Anya Pichhade Vergon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam,1994 (No.21 of 1994) shall be applicable for the recruitment to these posts.

(7) (a) Posts shall be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994), instructions issued by the General Administration Department *vide* its Notification No.F-6-1-2002/Reservation Cell/1/ dated 19-9-2002, The Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Rules, 1998 and orders issued by the State Government, from time to time in this behalf.

(b) For each category of vacant posts, the reservation shall be as under -

(i) 50 percent posts shall be kept reserved for women candidates.

(ii) As per the provisions of the Right of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and Madhya Pradesh Right of Persons with Disabilities Rules, 2017 six percent posts shall be reserved for disabled persons, subject to the ceiling of 1.5% for each category, namely:-

(a) Blindness and low vision.

(b) Deaf and hard of hearing.

(c) Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) Multiple disabilities including (a), (b), and (c), as above;

(iii) 10% for ex-army personnel;

(iv) 25 percent vacancies of the total available vacancies shall be reserved for Athithi Shikshak category who have worked in Government School for minimum three educational sessions and not less than two hundred days:

Provided that if the vacancies reserved for Atithi Shikshak remain vacant they shall be filled from other eligible candidates.

(v) Any other category which may be notified by the Government from time to time.

(8) The advertisement and procedure for appointment shall be specified by an executive order of the State Government.

(9) Criteria for selection - The procedure for appointment and preparation of merit list of candidates of all categories shall be prescribed by an executive order of the Government.

(10) If candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available in sufficient number to fill all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled up from any other category without prior permission of the State Government and those vacancies shall be carried forward to the next selection for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

12. Process of Recruitment and preparation of Selection List :-

(1) The procedure for recruitment to the posts of direct recruitment and preparation of selection list under these rules shall be specified by the Government.

(2) Subject to the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (General Terms of Service) Rules, 1961, the candidates, under these rules, shall be considered in the same order for appointment on available vacancies, as they appear in the list.

(3)The fact that the name of the candidate is included in the selection list does not give him or her any right to appointment, unless the Appointing Authority, after such enquiry as deemed fit, is satisfied that the candidate is fit for appointment in all respects.

(4) The selection list shall be valid for a period of one year from the date of publication, but with the approval of the Government, this period may be increased for six months.

13. Probation-

Persons selected through direct recruitment shall be appointed on probation for a period of two years. The concerned public servant shall receive the minimum pay of the pay-scale for that post during the probation period. On successful completion of probation period the annual increment shall be given as per rules. If probation period is not completed successfully, the same may be extended up to one year by the Appointing Authority after giving an opportunity of hearing to the concerned member of service. The services of the public servant appointed on probation shall be terminated if the probation period is not completed successfully even after the extended period.

14. Appointment by Promotion.-

(1) The committee shall consider the cases of all those public servants, who hold the prescribed qualification for the promotional post and who have completed the qualifying period on 1st January of the year as mentioned in column (4) of Schedule-IV and who have been otherwise found fit as per the norms and procedure notified by the Government.

(2) For promotion to the post of Principal, High School mentioned in serial no. 1 of Schedule-I, it shall be compulsory to pass the departmental examination with the minimum qualifying marks as specified by the Government. Thereafter promotion of these public servants shall be done on the basis of seniority cum merit.

(3) After the commencement of these rules, only those teachers appointed through direct recruitment as per clause (a) of sub-rule (4) of Rule 5, shall be eligible for promotion who have completed a minimum service of three years in rural areas.

(4) A committee with members as decided in column 5 of Schedule-IV shall be constituted for the preliminary selection for promotion of the members of this service. The committee shall meet at least twice in a year.

(5) For posts as specified in Schedule-II, on which appointments are to be made by the promotion of the members of service, in addition to the provisions made in sub-rule (1) and (2) of rule 14, the rest of the procedure shall be as per the rules/circulars issued by the General Administration Department from time to time.

(6) At the time of promotion Annual Confidential Report shall be taken into consideration and in case of adverse entries promotion shall not be considered.

(7) For the purpose of promotion/Krammonnti, the service period shall be calculated as per the instructions issued by the Government, from time to time.

15. Preparation of list of suitable candidates for promotion.–

(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such eligible members of service who fulfill the conditions prescribed in rule 14 supra and are

found suitable for promotion to the service according to the rules/instructions of the General Administration Department issued from time to time. This list shall cover the anticipated vacancies on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of two public servants or 25 percent of the number of vacancies, whichever is more, shall also be prepared.

(2) The criteria for preparation of select list shall be as per rules/instructions of General Administration Department and the Government, issued from time to time.

(3) The names of members of services included in the select list shall be arranged in the order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV or as specified by the Government in this regard.

Explanation.– A person whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely on the basis of the fact of his earlier selection.

(4) A list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, the supersession of any member of the teaching cadre is proposed, the Committee shall record its reasons for such proposed supersession.

16. **Representation in Selection Committee**.- If the nominated members other than the member presiding the Promotion Committee in respect of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same or higher status shall be included in the Promotion Committee and the number of members of the Promotion Committee shall be increased to that limit.

17. Determination of Seniority.-

(1) The cadre of Prathmik Shikshak shall be at District level. The fixation of seniority of the members appointed in this cadre under sub-rule (1), (2) and (3) of rule-5 shall be done at the district level on the basis of a reference list prepared according to their date of appointment and seniority in selection list. If there are more than one person at the same seniority level then whosoever is older in age shall be considered senior and the persons junior in age shall be kept below him. In case the date of recruitment, serial number in the selection list and date of birth are the same, the seniority shall be determined, after preparing a reference list, in accordance with the order of their names written in the English alphabet for each appointing authority.

(2) The provisional seniority list of each cadre shall be published by their respective Appointing Authority. Claims and objections shall be invited within a period of fifteen days and then the seniority list shall be published in its final form as per rules.

(3) The seniority of teachers of a local body who have been absorbed in another local body shall be fixed from the date of their joining in the concerned new local body.

(4) The seniority list of each cadre shall be published for the first time within a period of three months after the commencement of these rules and thereafter on 1st April every year.

(5) The cadre of Madhyamik Shikshak shall be at Divisional Level. Their seniority shall be fixed at divisional level according to sub-rule (1) of rule 17.

(6) The cadre of Ucch Madhyamik Shikshak shall be at State level. and their seniority shall be fixed at Directorate level according to sub-rule (1) of these rules.

(7) A committee constituted by the Government shall resolve the issues relating to the fixation of seniority.

18. Other Conditions of Services:

(1) It shall be mandatory for members of the Adhyapak Cadre of the local bodies to give option as per Appendix-1 for the appointment into this service. In case of non submission of option, they shall not be considered eligible for appointment under sub-rule (1), (2) and (3) of rule-5.

(2) The members of the Adhyapak Cadre appointed into this service as per sub-rule (1), (2) and (3) of Rule 5 shall not be entitled to get pay scales, allowances and schemes with respect to this service before the commencement of these rules.

(3) All the instructions that are issued from time to time in respect of registering attendance in the schools and of dress code, shall be binding upon the members of service, appointed or promoted under these rules.

(4) The person appointed under these rules shall comply with the duties prescribed in section 24 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No.235 of 2009), namely:-

(a) maintain regularity and punctuality in attending school ;

(b) conduct and complete the curriculum ;

(c) complete entire curriculum within the specified time ;

(d) assess the learning ability of each child and accordingly supplement additional instructions, if any, as required ;

(e) hold regular meetings with parents and guardians and apprise them about the regularity in attendance, ability to

learn, progress made in learning and any other relevant information about the child; and

(f) perform such other duties as may be prescribed.

(5) The annual appraisal of the work performance of a person who is appointed under these rules shall be done as per instructions notified by the State Government in this regard.

19. Interpretation.–If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government and its decision thereon shall be final.

20. Relaxation.– Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules shall apply in such a manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that no case shall be dealt in any manner less favorable to the person than that provided in these rules.

21. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the rules and orders issued by the State Government, from time to time in this regard.

22- Repeal and Saving – All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, on subjects covered by these rules, are hereby repealed:

Provided that the orders made or the action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor or Madhya Pradesh
AJAY KUMAR SHARMA, Addl. Secy.

SCHEDULE-I

(see Rule 5)

Sr.No.	Name of the posts	No. of posts	Classification	Pay-Band	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Principal, High School	1050	Class-II	9300-34800+4200 GP	Commissioner, Public Instruction	
2.	Ucch Madhyamik Shikshak	34789	Class-II	9300-34800+3600 GP	-do-	
3.	Head Master, Middle School	250	Class-II	9300-34800+3600 GP	Joint Director, Public Instruction	
4.	Madhyamik Shikshak	60686	Class-III	9300-34800+3200 GP	-do-	
5.	Head Master Primary School	250	Class-III	9300-34800+3200 GP	District Education Officer	
6.	Prathmik Shikshak	125243	Class-III	5200-20200+2400 GP	-do-	
7.	Khelkood Shikshak (Grade-A)	860	Class-III	5200-20200+2400 GP	-do-	Appointment under Sub-Rule (3) of Rule-5
8.	Khelkood Shikshak (Grade-B)	931	Class-III	9300-34800+3200 GP	-do-	For posts to be filled by direct recruitment
9.	Prayogshala Shikshak	8515	Class-III	5200-20200+2400 GP	-do-	Appointment under Sub-Rule (3) of Rule-5
10.	Gayan/Vadan Shikshak (Grade-A)	150	Class-III	5200-20200+2400 GP	--do-	Appointment under Sub-Rule (3) of Rule-5
11.	Gayan/Vadan Shikshak (Grade-B)	700	Class-III	9300-34800+3200 GP	-do-	For posts to be filled by direct recruitment

Note:- The pay scale shall be fixed as on 01-07-2018 as per Madhya Pradesh Pay Revision Rules,2017.

SCHEDULE-II

(see Rule-5 and 14)

Sr.No.	Name of posts	No. of posts	Percentage of posts to be filled	
			By direct recruitment	By promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal, High School	1050	-	100
2.	Ucch Madhyamik Shikshak	34789	50	50
3.	Head Master, Middle School	250	-	100
4.	Madhyamik Shikshak	60686	50	50
5.	Head Master, Primary School	250	-	100
6.	Prathmik Shikshak	125243	100	-
7.	Khelkood Shikshak (Grade-A)	931	100	-
8.	Khelkood Shikshak (Grade-B)	860	100	-
9.	Prayogshala Shikshak	8515	100	-
10.	Gayan/Vadan Shikshak (Grade-A)	150	100	-
11.	Gayan/Vadan Shikshak (Grade-B)	700	100	-

Note: The number of persons appointed under sub rule- (1), (2) and (3) of rule-5 is included in the number of posts mentioned in column (3) on Serial No. 2,4,6,7,9 and 10.

SCHEDULE-III

(see Rule 8)

Sr.No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ucch Madhyamik Shikshak	21 years	As per instructions of General Administration Department	Masters Degree in the relevant subject with second division and Bachelor of Education (B.Ed.) or its equivalent.	1.Passed Teacher Eligibility Examination with the percentage as prescribed in sub rule (5) of rule 11. 2.The minimum qualification for Ucch Madhyamik Shikshak (Sanskrit) of Sanskrit school shall be Acharya degree in second division in Sanskrit literature/grammar etc. from a recognized institution/ University.
2.	Madhyamik Shikshak	21 years	-do-	1.Bachelor's Degree in the relevant subject and 2 years Diploma in Elementary Education or its equivalent. OR Bachelor's Degree in the relevant subject with at least 50% marks and One year Bachelor in Education (B.Ed.). OR Bachelor Degree in the relevant subject with at least 45% marks and One year Bachelor in Education (B.Ed.) in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, issued from time to time in this regard. OR Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.).	1.Passed Teacher Eligibility Examination with the percentage as prescribed in sub rule-5 of rule 11. 2.The minimum qualification for Madhyamik Shikshak (Sanskrit) of Sanskrit school shall be Shastri degree in second division in Sanskrit literature/grammer etc. from a recognized institution/ University.

				OR Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 years Bachelor Degree in the relevant subject (B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed or B.A.Ed./B.Sc., Ed.) **OR** Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and One year B.Ed. (Special Education). 2.Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with disabilities.	
3.	Prathmik Shikshak	21 years	-do-	1.Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 years Diploma in Elementary Education. **OR** "Graduation with at least 50% marks and Bachelor of Education (B.Ed.)" Who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any National Council for Teacher Education recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in Classes 1st to 5th, provided the person so appointed as a teacher shall mandatory undergo a six month bridge course in Elementary Education recognized by the National Council for Teacher Education within 2 years of such appointment as Primary Teacher. **OR** Higher Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2 years Diploma in Elementary Education in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002.	**1.Passed Teacher Eligibility Examination with the percentage as prescribed in sub rule-5 of rule 11.** **2.The minimum qualification for Primary Teacher (Sanskrit) of Sanskrit school shall be Uttar Madhyama degree in second division in Sanskrit literature/grammer etc. from a recognized institution/ University.**

				OR Higher Secondary(or its equivalent) with at least 50% marks and 4 years Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.). **OR** Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 years Diploma in Education (Special Education). **OR** Graduation and 2 year Diploma in Elementary Education or its equivalent. 2.Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with disabilities.	
4.	Khelkood Shikshak (Grade-B)	21 years	-do-	Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) or Bachelor of Physical Education (BPE) OR Bachelor of Science (B.Sc.) in Health and Physical Education and Degree in sports with atleast 55% Marks As National Council for Teacher Education (recognition norms and procedure) Regulation, 2009 OR Atleast 50% Marks in the B.P.Ed.Degree/ B.P.Ed. (Integrated) 4 Years professional Degree in accordance with the National Council for Teacher Education (recognition norms and procedure) Regulation, 2007 Notified on 10.12.2007 OR B.P.Ed. with atleast 55% marks OR BPE Course (or its equallent) of three years duration with atleast 50% marks (in accordance with the National Council for Teacher Education Form of Application for	

				recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of Teachers Education Programmes and permission to start New Course of training) Regulations, 2002 Notified on 13.11.2002 and M.P.Ed. of atleast two years duration from any NCTE recognized institution.	
5.	Prayogshala Shikshak	21 years	-do-	Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks,with Science subjects or equivalent	
6.	Gayan/Vadan Shikshak (Grade-B)	21 years	-do-	Higher Secondary with at least 50% marks and B Mus. /M.Mus./Vid/Kovid/ Ratana or equivalent to B Mus.	

SCHEDULE-IV

(see Rule-14)

S.No.	Name of the Post from which promotion is to be made	*Name of the post on which promotions is to be made*	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ucch Madhyamik Shikshak	Principal, High School	5 years	(1) Commissioner, Public Instruction – Chairperson (2) Director, Public Instruction – Member (3) Additional Director/Joint Director – Member (4) Deputy Director/Asst. Director – Member Secretary	
2.	Madhyamik Shikshak	Ucch Madhyamik Shikshak	5 years	(1) Commissioner, Public Instruction – Chairperson (2) Director, Public Instruction – Member (3) Additional Director/Joint Director – Member (4) Deputy Director/Asst. Director – Member Secretary	
3.	Madhyamik Shikshak	Head Master, Middle School	5 years	(1) Joint Director, Public Instruction – Chairperson (2)District Education Officer– Member (3)Principal Higher Secondary School– Member (4) Assistant. Director – Member Secretary	

4.	Prathmik Shikshak	Head Master, Primary School	5 years	(1) Officer nominated by Collector-Chairperson (2) District Education Officer– Member (3) Assistant. Director – Member Secretary (4) Principal Higher Secondary School – Member	
5.	Prathmik Shikshak	Madhyamik Shikshak	5 years	(1) Officer Nominated by Collector -Chairperson (2) District Education Officer– Member (3) Assistant. Director – Member Secretary (4) Principal Higher Secondary School – Member	

Note:

(1) The Madhyamik Shikshak and Primary Shikshak who has received the President's/Governor's Award under the Scheme of National Award/State Award to teachers shall be given out of turn promotion:

Provided that he has obtained the Senior Pay Scale/Time Pay Scale or any other corresponding Higher Pay Scale and is otherwise eligible for promotion.

(2) The Public servant promoted to the post of Principal, High School mentioned in Serial Number 1 of Column (1) shall compulsorily be posted in rural area for three years. The promoted public servant shall have to undergo training for a month by an institution recognized for awarding diploma certificate in educational management. In addition, leadership training of one month from SIEMAT or Indian Institute of Management, Indore will be required to be undergone. In case of leadership training by SIEMAT, the project implementation module shall be required to be prepared by Indian Institute of Management, Indore or by any other reputed Institute of Management. An additional time of one year shall be given to those promoted public servant who are not able to complete the training successfully. The public servant not completing training successfully despite this opportunity shall be reverted back to the previous post.

Annexure-1

Proforma for Option

[see Rule-18 (1) (2)]

I.....designation-Varishtha Adhyapak/ Adhyapak / Sahayak Adhyapak/ Sahayak Adhyapak (Prayogshala), Sahayak Adhyapak (Vyayaam)] Sahayak Adhyapak (Gayan/Vadan) Government School.....appointing body.....District.....am at present working under local body. I hereby, give the option to be appointed in the School Education Department under sub rule (1), (2) and (3) of Rule 5 and sub-rule (1) and (2) of Rule 18 of the Madhya Pradesh School Education Service (Teaching Cadre) Service Conditions and Recruitment Rules, 2018 on the post of .....(Ucch Madhyamik Shikshak/Madhyamik Shikshak/Prathmik Shikshak/Khelkood Shikshak Grade-A/Prayogshala shikshak / Gayan/Vadan Shikshak Grade-A. I accept all the provisions and conditions mentioned in the Rules and after being appointed in the School Education Department, I shall not demand the pay scale and allowances with regard to this service for the service rendered by me previously (as a member of the Adhyapak Samvarg) .

OR

I.....designation-Varishtha Adhyapak/ Adhyapak/ Sahayak Adhyapak/Sahayak Adhyapak (Proyogshala), Sahayak Adhyapak (Vyayaam)] Sahayak Adhyapak (Gayan/Vadan) Government School.....appointing body.....District..... am at present working under the local body. I want to continue in my original appointing body ..... (District Panchayat/Municipal Corporation/ Municipality/Municipal Council) District.....

Signature

Date..... Name of the Employee.....

Place..... Designation.....

1.Name and signature of witness ..... Name of the Institution where working .....

2. Name and signature of witness..... Name of the Local Body.....
District.....

By order and in the name of the Governor or Madhya Pradesh,
AJAY SHARMA, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 531] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2019—पौष 5, शक 1941

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-1-176-2018-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 11 में, उप–नियम (7) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उसकी अधिसूचना क्रमांक–एफ–6–1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19 सितम्बर, 2002 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 और राज्य शासन द्वारा, समय–समय पर जारी किये गये आदेश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे।"।

2. नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"13. परिवीक्षा—

सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में असफल होने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। बढ़ी हुई परिवीक्षा अवधि के लिए तृतीय वर्ष के अनुसार ही स्टायपेंड देय होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त लोकसेवक की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।

Bhopal, the 24th December 2019

No. F-1-176-2018-XX-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh School Eduction Service (Teaching Cadre) Service Conditions and Recruitment Rules, 2018, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 11, in sub-rule (7), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) In accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the

directions given by the General Administration Department in its Notification No.-F-6-1/2002/Reservation Cell/One, dated 19th September, 2002, the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Niyam, 1998 and in compliance of the orders issued by the State Government from time to time in this behalf, the posts shall be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections.".

2. For rule 13, the following rule shall be substituted, namely:-

"13. Probation.-

Firstly, there shall be three years' probation on the direct recruitment posts. During the probation period 70 percent of the minimum of the basic pay in the first year, 80 percent in second year and 90 percent in the third year shall be paid as stipend. After successful completion of probation period, the payment in the pay scale shall be commenced. In case of failure in the probation period, an opportunity of hearing shall be given and afterwards the probation period can be extended for one year. For the extended probation period the stipend as was given in the third year, shall be paid. The probation period is not completed successfully, then the services of the persons so appointed on probation shall be terminated.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2022—श्रावण 4, शक 1944

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2022

क्रमांक एफ–01–08/2022/बीस–1/:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, "मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018" में निम्नानुसार संशोधन करते है, अर्थात् :–

:: संशोधन ::

उक्त नियमों में, नियम 11 में,–

1- उप नियम (2) में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए।

2- उप–नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापति किया जाए अर्थात्

"(5) शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंको का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा, अर्थात्:–

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग व्यक्ति/ आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	अन्य
(1)	(2)
50 प्रतिशत	60 प्रतिशत

N0.F 01-08/2022/20-1:: In exercise of the powers conferred by Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh here by makes the following amendments in the Madhya Pradesh School Education service (Teaching Cadre), Service Conditions and Recruitment Rules, 2018, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, in rule11,

1. in sub rule(2),for the words " three years " the words" five years" shall be substituted.
2. for sub rule(5), the following sub rule shall be substituted, namely:-

" (5) The category wise minimum percentage of marks to qualify in the Teacher Eligibility Examination shall be as under, namely:-

Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Persons with disabilities / Economically weaker sections	Others
(1)	(2)
50 %	60 %

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. एल. मण्डलोई, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2022.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 610] भोपाल, गुरूवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 10, शक 1944

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ–1–8/2022/20–1/:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, "मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद् द्वारा "मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018" में निम्नानुसार संशोधन करते है, अर्थात् :–

:: संशोधन ::

उक्त नियमों में–

1. नियम–2 में –

(एक) उपनियम (छ) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए अर्थात् –

(छक) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है, समय समय पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 2.07.2019 एवं दिनांक 18.07.2019 तथा अन्य कोई आदेश द्वारा यथा विनिर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,"

(दो) चयन नियम (थ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए अर्थात् –

(थक) "चयन परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन शैक्षणिक संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा।"

2. नियम–5 में, –

(एक) उप नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् –

"(3) सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला), सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक), सहायक अध्यापक (गायन/वादन), अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) एवं अध्यापक (गायन/वादन) को क्रमशः प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक खेलकूद, प्राथमिक शिक्षक गायन/वादन, माध्यमिक शिक्षक खेलकूद तथा माध्यमिक शिक्षक गायन/वादन के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अध्यापक (उद्योग) को उसके स्नातक विषय/विषय समूह के अनुसार माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा।"

(दो) उप नियम (4) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(ग) स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्ति.– यदि पदोन्नति पदों की रिक्तियों को तत्काल भरने की आवश्यकता है, और उपयुक्त शिक्षक वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध हैं, तब संबंधित पद का नियुक्ति प्राधिकारी आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से उच्च पद पर कार्य करने हेतु आदेशित कर सकेगा।

ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए आदेशित शिक्षक का वरिष्ठता पर या ऐसे उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं होगा। परन्तु वह तब तक ऐसे उच्चतर पद को धारण कर सकेगा जब तक कि ऐसा शिक्षक, ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता है। ऐसा स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले अधिकारी, ऐसे उच्चतर पद पर पदोन्नत किसी शिक्षक द्वारा यथा प्रयोज्य ऐसे उच्चतर पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिस पर वह वर्तमान में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है।"।

3. नियम 8 में, उप नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात:–

"(5) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति की प्रकिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रकिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विर्निदिष्ट की जाएगी जिसमें हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन करने वाले शिक्षकों हेतु पृथक् पृथक् चयन प्रकिया निर्धारित की जा सकेगी।"।

4. नियम 11 में,–

(एक) उप नियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

"(1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात्, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक, संगीत (गायन, वादन) माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन, वादन) प्राथमिक शिक्षक, नृत्य, प्राथमिक शिक्षक, आई.टी के पदों पर सीधी भर्ती, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

"(2) शिक्षक पात्रता परीक्षा जो इसमें इसके पश्चात पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है विहित प्रकिया अनुसार संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद अयोजित पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी।"

(दो) उप नियम (7) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुसार 6 प्रतिशत पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5 प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन रहते हुए निम्नानुसार होगा, अर्थात्:–

(क) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि।

(ख) बहरे और कम सुनने वाले।

(ग) लोकोमोटर डिसेबिलेटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन,एसिड अटैक पीड़ित, मसकुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित हैं।

(घ) बहु विकलांगता जिसमें ऊपर (क), (ख) तथा (ग) की निशक्तता सम्मिलित है।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

दिव्यांग आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ–'8–2/2013/अ.प्र./1दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार आरक्षण वर्गवार न होकर दिव्यांगों की श्रेणीवार होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप ही आरक्षण देय होगा।

(तीन) उप नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विषयमान से चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस चयन परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रकिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विर्निदिष्ट की जाएगी।"।

5. नियम 21 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"21. व्यावृत्ति.– इन नियमों में कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य शासन द्वारा समय समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबन्ध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथीलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।"।

6. अनुसूची एक, अनुसूची दो, अनुसूची तीन तथा अनुसूची चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

अनुसूची–एक
(नियम–5)
शैक्षणिक संवर्ग

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्तिकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्राचार्य हाईस्कूल / उप प्राचार्य	1050+64	द्वितीय श्रेणी	9300–34800 + 4200 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–10 42700–135100)	आयुक्त लोक शिक्षण	–
2.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	34789	द्वितीय श्रेणी	9300–34800 + 3600 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–9 36200–114800)	आयुक्त लोक शिक्षण	–
3.	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	250	द्वितीय श्रेणी	9300–34800 + 3600 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–9 36200–114800)	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण	–
4.	माध्यमिक शिक्षक	60,686	तृतीय श्रेणी	9300–34800+3200 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण	–
5.	माध्यमिक शिक्षक खेल	931	तृतीय श्रेणी	9300–34800+3200 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	–
6.	माध्यमिक शिक्षक संगीत– गायन / वादन	700	तृतीय श्रेणी	9300–34800+3200 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्तिकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
7.	माध्यमिक शिक्षक आईटी	0* (प्रक्रिया धीन)	तृतीय श्रेणी	9300–34800+3200 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	
8.	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	250	तृतीय श्रेणी	9300–34800+3200 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	जिला शिक्षा अधिकारी	–
9.	प्राथमिक शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक विज्ञान	1,25,243	तृतीय श्रेणी	5200–20200+2400 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–6 25300–80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
10.	प्राथमिक शिक्षक खेल	860	तृतीय श्रेणी	5200–20200+2400 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–6 25300–80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
11.	प्राथमिक शिक्षक विज्ञान	8515	तृतीय श्रेणी	5200–20200+2400 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–6 25300–80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
12.	प्राथमिक शिक्षक संगीत(गायन/वादन)	150	तृतीय श्रेणी	5200–20200+2400 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–6 25300–80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
13.	प्राथमिक शिक्षक संगीत–नृत्य	254	तृतीय श्रेणी	5200–20200+2400 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–6 25300–80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
14.	प्राथमिक शिक्षक–आई. टी.	762	तृतीय श्रेणी	5200–20200+2400 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–6 25300–80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	

*पद स्वीकृति की प्रक्रिया जारी ।

अनुसूची–दो
(नियम 5 और 14)
शैक्षणिक संवर्ग

अनुक्रमांक	पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राचार्य हाईस्कूल / उप प्राचार्य	1050+64	—	100 प्रतिशत
2.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	34789	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
3.	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	250	—	100 प्रतिशत
4.	माध्यमिक शिक्षक	60686	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
5.	माध्यमिक शिक्षक खेल	931	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
6.	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन नृत्य)	700	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
7.	माध्यमिक शिक्षक आईटी	0* प्रक्रियाधीन	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
8.	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	250		100 प्रतिशत
9.	प्राथमिक शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक विज्ञान	125243	100 प्रतिशत	—
10.	प्राथमिक शिक्षक खेल	860	100 प्रतिशत	—
11.	प्राथमिक शिक्षक विज्ञान को प्रयोगशाला शिक्षक के पद पदस्थ किया जा सकेगा।	8515	100 प्रतिशत	—
12.	प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन)	150	100 प्रतिशत	—
13.	प्राथमिक शिक्षक संगीत नृत्य	254	100 प्रतिशत	
14.	प्राथमिक शिक्षक आईटी	762	100 प्रतिशत	

*पद स्वीकृति की प्रकिया जारी

(1) जैसे जैसे विभाग के नियमित केडर यथा सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक,व्याख्याता के पदों (डाइंग केडर में) पर कार्यरत लोक सेवक सेवानिवृत्त होते जाएंगें वैसे वैसे उनके पद इसमें जुडते जाएंगें।

(2) उच्च माध्यमिक शिक्षक (कृषि) के 100 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेगें।

अनुसूची–तीन
(नियम 8)

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	1. संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड. अथवा समकक्ष	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत, चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 3. संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बी. एड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
2.	माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष अथवा संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक उपाधि	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. संबंधित विषय से तात्पर्य है कि संबंधित मुख्य विषय का 3 वर्ष तक अध्ययन किया हो। 3. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा।

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(बी.एड.) अथवा संबंधित विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी एनसीटीई विनियमों के अनुसार शिक्षा 'शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक बी.एल.एड. अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में चार वर्षीय स्नातक उपाधि बीए बीएड/ बीएससी बी एड या बीए एड अथवा बीएससी एड अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक	4. संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्तसंस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी के साथ शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बी.एड/ डी.एल.ई.डी उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				उपाधि तथा एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	
3.	प्राथमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा जिसने शिक्षा स्नातक (बीएड)एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी. एड) की उपाधि प्राप्त की है, उन पर कक्षा 1 से 5 पढाने हेतु नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा । किन्तु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा से चयन संबंधी प्रावधान शिथिल कर सकेगा। 3. संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त डी.एलएड/ बी. एड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। अथवा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायरसेकेण्डरी और एनसीटीई (मान्य सन्नियम और प्रक्रिया) विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायरसेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड.) अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायरसेकेण्डी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष	

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	
4.	प्राथमिक शिक्षक /विज्ञान/प्रयोगशाला सहायक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी –विज्ञान संकाय में तथा डी.एल. डी. या बी.एड. में पत्रोपाधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा में उपरोक्त प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा। 3. ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होंगें उन्हें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान/प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा।
5.	माध्यमिक शिक्षक खेल	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	1. शारीरिक शिक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.ई)	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				अथवा उसके समकक्ष (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	होना अनिवार्य होगा।
6.	प्राथमिक शिक्षक–खेल	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/ बीपीएड/ बीपीई या उसके समकक्ष (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा।
7.	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन वादन)	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.म्यूज/एम.म्यूज /(बी.आई.डी/ कोविद/रत्न या बी. म्यूज के समकक्ष।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	होगा
8.	प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन)	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन/ वादन में डिप्लोमा अथवा बी. म्यूज/ एम.म्यूज/ व्ही. आई.डी/ कोविद/रत्न या बी.म्यूज के समकक्ष। (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा
9.	प्राथमिक शिक्षक संगीत–नृत्य	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी. म्यूज नृत्य/एम.म्यूज नृत्य/नृत्य में व्ही.आई. डी./कोविद/रत्न में पत्रोपाधि या बी म्यूज नृत्य के समकक्ष	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	
10.	माध्यमिक शिक्षक –आई टी	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ई/ कम्प्यूटर विज्ञान/आई. टी./ कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/सॉफ्टवेयर में स्नातक/स्नातकोत्तर (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा
11.	प्राथमिक शिक्षक –आई टी	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी (या उसके समकक्ष) तथा 3 वर्ष का –कंप्यूटर साइंस/आई. टी./ कंप्यूटर इंजीनियरिंग/ सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा अथवा डिग्री	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा
				(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	

अनुसूची–चार
(नियम 14)

अनु. क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	प्राचार्य हाईस्कूल /उप प्राचार्य	05 वर्ष	(1) आयुक्त लोक शिक्षण–अध्यक्ष (2) संचालक, लोक शिक्षण –सदस्य (3) अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक –सदस्य (4)उप संचालक /सहायक संचालक–सदस्य सचिव	–
2.	1. माध्यमिक शिक्षक 2. प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शाला)	उच्च माध्यमिक शिक्षक	05 वर्ष	(1) आयुक्त लोक शिक्षण–अध्यक्ष (2)संचालक, लोक शिक्षण –सदस्य (3) अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक –सदस्य (4)उप संचालक /सहायक संचालक–सदस्य सचिव	–
3.	माध्यमिक शिक्षक	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	05 वर्ष	(1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण – अध्यक्ष (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)प्राचार्य हायर सेकेण्ड्री स्कूल –सदस्य (4) सहायक संचालक – सदस्य सचिव	–
4.	1. प्राथमिक शिक्षक/ 2. प्राथमिक शिक्षक विज्ञान 3. प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला)	माध्यमिक शिक्षक	05 वर्ष	(1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण – अध्यक्ष (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)प्राचार्य हायर सेकेण्ड्री स्कूल –सदस्य	–

अनु. क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
				(4) सहायक संचालक – सदस्य सचिव	
5.	प्राथमिक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक विज्ञान	प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला)	05 वर्ष	(1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण – अध्यक्ष (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)प्राचार्य हायर सेकेण्ड्री स्कूल –सदस्य (4) सहायक संचालक – सदस्य सचिव	–
6.	प्राथमिक शिक्षक–खेल	माध्यमिक शिक्षक–खेल	05 वर्ष	(1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण – अध्यक्ष (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)प्राचार्य हायर सेकेण्ड्री स्कूल –सदस्य (4) सहायक संचालक – सदस्य सचिव	–
7.	1. प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन वादन) 2. प्राथमिक शिक्षक नृत्य	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन वादन, नृत्य)	05 वर्ष	(1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण – अध्यक्ष (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)प्राचार्य हायर सेकेण्ड्री स्कूल –सदस्य (4) सहायक संचालक – सदस्य सचिव	पदों की संख्या के अनुपात में
8.	प्राथमिक शिक्षक आईटी	माध्यमिक शिक्षक आईटी	05 वर्ष	(1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण – अध्यक्ष (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)प्राचार्य हायर सेकेण्ड्री स्कूल –सदस्य (4) सहायक संचालक – सदस्य सचिव	

टीप–

(1) ऐसे माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने शिक्षकों के राष्ट्रीय/राज्य योजना पुरूस्कार स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरूस्कार प्राप्त किया हो उन्हें पारी बाहर पदोन्नति दी जाएगी:

परन्तु उसे वरिष्ठ वेतनमान/समयमान वेतनमान (टाईप–पे–स्केल) या तत्स्थानी उच्चतर वेतनमान प्राप्त हुआ हो तथा पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र हो।

(2) ऐसा लोक सेवक जिसे कॉलम–1 के अनुक्रमांक–1 में उल्लिखित हाईस्कूल के प्राचार्य के पद पर पदौन्नत किया हो, उसे 3 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य रूप से पदस्थ किया जाएगा। पदौन्नत लोक सेवक को शैक्षणिक प्रबंधन में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्रमाण पत्र देने वाली किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त सीमेट या भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर से एक माह का नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सीमेट द्वारा यह प्रशिक्षण किये जाने पर परियोजना क्रियान्वयन मॉड्यूल भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से बनवाया जाएगा। इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित पदोन्नत लोक सेवक को एक वर्ष का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित लोक सेवक को उसके पदोन्नति के पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

N0.F 01-08/2022/20-1:: In exercise of the powers conferred by article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh School Education service (Teaching Cadre), Service Conditions and Recruitment Rules, 2018, namely:-

:: AMENDMENTS ::

In the said rules-

1- In rule 2,-

(i) After sub-rule (g) the following sub-rule shall be inserted, namely -

(ga) "Economically Weaker Section" means the economically weaker section as specified by instructions issued on 2.07.2019 and 18.07.2019 and any other order issued by G.A.D. from time to time."

(ii) After sub-rule (q) the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(ga) "Selection Test" means the selection test to be conducted for appointment to the posts of direct recruitment of teaching cadre under these rules;"

2- In rule 5,-

(i) For sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely-

(3) Sahayak Adhyapak (Prayogshala), Sahayak Adhyapak (Vyayam Sikhashak), Sahayak Adhyapak (Gayan/Vadan), Adhyapak (Vyayam Sikhashak) and Adhyapak (Gayan/Vadan) shall be appointed on the post of Prathamik Shikshak Vigyan, Prathamik

Shikshak Khelkood, Prathamik Shikshak Gayan/Vadan, Madhyamik Shikshak Khelkood and Madhyamik Shikshak Gayan/Vadan respectively. The Adhyapak (Udyog) will be appointed to the post of Madhyamik Shikshak according to his/her graduation subject/subject group.";

(ii) In sub-rule (4), after clause (b) the following clause shall be inserted, namely:-

"(c) appointment for officiating:-

In case if it is necessary to fill up vacancies of promotion posts immediately, and suitable teachers are available on seniority cum merit basis and passes the qualification of the post then the appointing authority of the concerned post may issue an order for officiating on higher rank until further orders. The teachers so ordered to officiate at such higher rank, shall have no right to claim seniority or pay of such higher rank, of such higher post. Such officiating teacher shall exercise all the powers of such higher post as exercisable by an teacher promoted to such higher rank, to which he is currently officiating.".

3. In rule 8, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(5) Teacher Eligibility test will be mandatory for the candidate who have passed to participate in the teacher selection test. The process of appointment and the process of preparing the merit list of candidates of all categories will be specified by the executive order of the government, in which separate selection process can be prescribed for teachers teaching through Hindi and English medium.".

4. In rule 11,-

(i) For sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) After commencement of these rules, appointment to the post of direct recruitment of Prathmik Shikshak, Madhyamik Shikshak, Ucch Madhyamik Shikshak, Prathmik shikshak Khel, Madhyamik shikshak Khel, Prathmik shikshak, Music (Gayan/Vadan), Madhyamik shikshak Music (Gayan/Vadan) Prathmik Shikshak (Dance), Prathmik Shikshak (IT) shall be made in accordance with the provisions of these rules.";

(ii) For sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"The Teacher Eligibility Test hereinafter referred to as the Eligibility Test, shall be conducted in accordance with the prescribed procedure. This eligibility test will be conducted by the agency prescribed by the government; the validity of the eligibility test will be for life. Lifetime validity will be applicable for the eligibility test held in the year 2018 and onwards.";

(iii) In sub-rule (7), for Clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) As per the provisions of the Right of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and Madhya Pradesh Right of Persons with Disabilities Rules, 2017 six percent posts shall be reserved for disabled persons, subject to the ceiling of 1.5% for each category, namely:-

(a) Blindness and low vision.

(b) Deaf and hard of hearing.

(c) Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) Multiple disabilities including (a),(b),and (c), as above;

(Minimum 40% disability certificate issued by the Notified Medical Authority / Medical Board will be valid)

According to the letter number F-'8-2/2013/A.P./1 dated June 30, 2014, issued by the General Administration Department regarding the reservation of Divyang, the reservation will not be class-wise but category-wise of the Divyang. Reservation will be given as per the instructions of the General Administration Department.";

(iv) For sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"Subject wise selection test will be organized to fill the vacant posts of teachers. Only the candidates who have qualified in the Teacher Eligibility Test will be able to participate in this selection test. Selection list will be prepared on the basis of selection test for appointment to vacant posts of teachers. The selection test will be conducted by the agency prescribed by the government. The advertisement and procedure for appointment will be specified by the executive order of the state government.".

5. For rule 21, the following rule shall be substituted, namely:-

"(21) **Saving** - Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation and other conditions required for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections in accordance with the rules and orders issued by the State Government, from time to time in this regard.".

6. For Schedule-I, Schedule-II, Schedule-III and Schedule-IV, following Schedules shall be substituted, namely:-

Schedule -1
(Rule 5)

Sr. No.	Name of the posts	No. of posts	Classification	Pay-Band	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)
1.	Principal, High School/Vice Principal	1050+64	Class-II	9300-34800+4200 GP Pay level-10 in 7th Pay Commission (42700-135100)	Commissioner, Public Instruction	
2.	Uchch Madhyamik Shikshak	34789	Class-II	9300-34800+3600GP Pay level-9 in 7th Pay Commission (36200-114800)	Commissioner, Public Instruction	
3.	HeadMaster,MiddleSchool	250	Class-II	9300-34800+3600 GP Pay level-9 in 7th Pay Commission (36200-114800)	Joint Director, Public Instruction	
4.	Madhyamik Shikshak	60686	Class-III	9300-34800+3200 GP Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	Joint Director, Public Instruction	
5.	Madhyamik Shikshak - Khel	931	Class-III	9300-34800+3200 GP Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	Joint Director, Public Instruction	
6.	Madhyamik Shikshak - Music-GayanVadan	700	Class-III	9300-34800+3200 GP Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	Joint Director, Public Instruction	

Sr. No.	Name of the posts	No. of posts	Classification	Pay-Band	Appointing Authority	Remarks
7.	Madhyamik Shikshak - IT	0 (under Process)	Class-III	9300-34800+3200 GP Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	Joint Director, Public Instruction	
8.	Head Master Primary. School	250	Class-III	9300-34800+3200 GP Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	District Education Office	
9.	Prathmik Shikshak/ PRathmik Shikshak Vigyan	125243	Class-III	5200-20200+2400 GP Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	District Education Office	
10.	Prathmik Shikshak - Khel	860	Class-III	5200-20200+2400 GP Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	District Education Office	
11.	Prathmik Shikshak-vigyan	8515	Class-III	5200-20200+2400 GP Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	District Education Office	
12.	Prathmik Shikshak - Music- Gayan/Vadan	150	Class-III	5200-20200+2400 GP Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	District Education Office	
13.	Prathmik Shikshak - Music-Nrity(Dance)	254	Class-III	5200-20200+2400 GP Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	District Education Office	
14.	Prathmik Shikshak -IT	762	Class-III	5200-20200+2400 GP Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	District Education Office	

* Post creation is under process.

Schedule -2
(Rule 5 and 14)

Sr.No.	Name of posts	No. of posts	Percentage of posts to be filled	
			By direct recruitment	By promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal, High School/Vice Principal	1050+64	-	100
2.	Uchch Madhyamik Shikshak	34789	50	50
3.	Head Master Middle School	250	-	100
4.	Madhyamik Shikshak	60686	50	50
5.	Madhyamik Shikshak -Khel	931	50	50
6.	Madhyamik Shikshak -Music-GayanVadan, Nrity	700	50	50
7.	Madhyamik Shikshak -IT	0 (under Process)	50	50
8.	Head Master Primary. School	250		100
9.	Prathmik Shikshak/Prathmik Shikshak Vigyan	125243	100	-
10.	Prathmik Shikshak -Khel	860	100	-
11.	Prathmik Shikshak -vigyan	8515	100	-
12.	Prathmik Shikshak -Music-GayanVadan	150	100	-
13.	Prathmik Shikshak -Music-Nrity(Dance)	254	100	-
14.	Prathmik Shikshak -IT	762	100	-

* Post creation is under process.

(1) As soon as the public servants working in the regular cadre of the department such as assistant teacher, upper division teacher, lecturer (in the dyeing cadre) retire, their posts will be added to it.

(2) 100% posts of Uchch Madhyamik Shikshak (Agriculture) will be filled by direct recruitment.

Schedule -3

(Rule 8)

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remark s
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Uchch Madhyamik Shikshak	21 years	As per instructions of General Administration Department	Masters Degree in the relevant subject with second division and Bachelor of education (B.Ed) or its equivalent.	1. Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test. 3. In respect of UMS (Sanskrit) of Sanskrit Pathshala, Acharya degree in Sanskrit Literature/Grammar etc. in second class from a recognized Institute/University shall be the minimum educational qualification. Apart from this, it will be mandatory to possess B.Ed degree.

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remark s
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Madhyamik Shikshak	21 years	As per instructions of General Administration Department	Bachelors Degree in the relevant subject and 2 years Diploma in Elementary Education or its equivalent. OR Bachelor's Degree in the relevant subject with at least 50% marks and One year Bachelor in Education (B.Ed.). OR Bachelor Degree in the relevant subject with at least 45% marks and One year Bachelor in Education (B.Ed.) in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, issued from time to time in this regard. OR Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4	1. Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. Related subject means that the related main subject has been studied for 3 years in graduation. 3. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test. 4. In respect of MS (Sanskrit) of Sanskrit Pathshala, Shastri degree in Sanskrit Literature/Grammar etc. in second class from a recognized Institute/University shall be the minimum educational qualification. Apart from this, it will be mandatory tc

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remark s
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.). OR Higher Secondary or equivalent) with at least 50% marks and 4 years Bachelor Degree in the relevant subject (B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed orB.A,Ed./B.Sc., Ed.) OR Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and One year B.Ed. (Special Education). 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	possess B.Ed degree/D.L.ED

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remark s
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Prathmik Shikshak	21 years	As per instructions of General Administration Department	1. Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 years Diploma in Elementary Education. OR "Graduation with at least 50% marks and Bachelor of Education (B.Ed.)"Who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any National Council for teacher education Recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in Classes 1st to 5th provided the person so appointed as a teacher shall mandatory undergo a six month bridge course in Elementary Education recognized by the National Council for Teacher Education within 2 years of such	1. Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test. In cases of compassionate appointment department may relax the above requirement. 3. In respect of PS (Sanskrit) of Sanskrit Pathshala, Uttar Madhyama in Sanskrit Literature/Grammar etc. with second class from a recognized Institute/University shall be the minimum educational qualification. Apart from this, it will be mandatory to

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				appointment as Primary Teacher. Or Higher Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2 years Diploma in Elementary Education in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002. OR Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 years Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.). OR Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 years Diploma in Education (Special Education).	possess B.Ed degree/D.L.ED

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remark s
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				OR Graduation and 2 year Diploma in Elementary Education or its equivalent. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with disabilities	
4.	Prathmik Shikshak - vigyan/Prayogsh ala Sahayak	21 years	As per instructions of General Administration Department	Higher secondary with atleast 50% marks in Science faculty. With D.el.ed or B.Ed Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	1. Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test. In cases of compassionate appointment department may

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					relax the above requirement. 3. Such primary teachers who will have cleared Higher Secondary Examination with Science subject can be posted as Primary Teacher Science/ Prayogshala Sahayak
5.	Madhyamik Shikshak-Khel	21 years	As per instructions of General Administration Department	B.P.Ed./B.P.E./bachelor of physical education with at least 50% marks or its equivalent 2.Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	1. Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test.

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remark s
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Prathmik Shikshak-Khel	21 years	As per instructions of General Administration Department	Higher secondary with at least 50% marks & Diploma in Physical education from recognized institution. Or B.P.Ed./B.P.E./bachelor of physical education or its equivalent 2.Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test.
7.	Madhyamik Shikshak-Music-Gayan Vadan,	21 years	As per instructions of General Administration Department	Higher Secondary with at least 50% marks and B Mus. /M.Mus./Vid/Kovid/ Ratana or equivalent to B Mus. 2.Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled	1. Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test.

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remark s
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	
8.	Prathmik Shikshak -Music-GayanVadan	21 years	As per instructions of General Administration Department	Higher secondary with at least 50% marks and diploma in GayanVadan /B Mus. /M.Mus./Vid/K.ovid/ Ratana or equivalent to B Mus Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test.
9.	Prathmik Shikshak -Music-Nrity (Dance)	21 years	As per instructions of General Administration Department	Higher secondary with atleast 50% marks and diploma in Dance /B Mus. Dance/M.Mus. dance /Vid/K.ovid/ Ratana in Dance or equivalent to B Mus dance	Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remark s
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	through the selection test.
10.	Madhyamik Shikshak -IT	21 years	As per instructions of General Administration Department	B.E/Graduation/Post graduation in computer science / IT/Computer engineering with at least 50% marks 2. Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	1. Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test.
11.	Prathmik Shikshak -IT	21 years	As per instructions of General Administration Department	. Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 3 years Diploma /Degree in Computer	Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it
				science/IT/Computer engineering software 2. Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	will be mandatory to be selected through the selection test.

Schedule -4
(Rule 14)

No.	Name of the Post from which promotion is to be made	*Name of the* post on which promotions is to be made	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Uchch Madhyamik Shikshak	Principal, High School/Vice Principal	05 years	1. **Commissioner,** Public Instruction —Chairperson 2. Director, Public instruction —Member 3. Additional **Director/Joint** Director — Member 4. Deputy Director/ Asst. Director —Member Secretary	
2.	1. Madhyamik Shikshak 2. Hadmaster Madhyamikshala	Uchch Madhyamik Shikshak	05 years	1. **Commissioner,** Public Instruction —Chairperson 2. Director, Public instruction — Member 3. Additional **Director/Joint** Director — Member 4. Deputy Director/Asst. Director —Member Secretary	

No.	Name of the Post from which promotion is to be made	*Name of the* post on which promotions is to be made	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Madhyamik Shikshak	Headmaster Madhyamik shala	05 years	(1) Joint Director, Public Instruction —Chairperson (2) District Education Officer —Member (3) Principal Higher Secondary School —Member (4) Assistant Director —Member Secretary	
4.	1.Prathmik Shikshak/ 2.Prathmik Shikshak Vigyan 3.Headmaster (Prathmik Shala)	Madhyamik Shikshak	05 years	(1) Joint Director, Public Instruction — Chairperson (2)District Education Officer —Member	

No.	Name of the Post from which promotion is to be made	*Name of the* post on which promotions is to be made	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3.Principal Higher Secondary School —Member 4. Assistant. Director —Member Secretary	
5.	Prathmik Shikshak/Prathmik Shikshak Vigyan	Headmaster (Primary. School)	05 years	(1) Joint Director, Public Instruction — Chairperson (2)District Education Officer —Member (3)Principal Higher Secondary School —Member (4)Assistant. Director —Member Secretary	
6.	Prathmik Shikshak -Khel	Madhyamik Shikshak -Khel	05 years	(1) Joint Director, Public Instruction — Chairperson (2)District Education Officer —Member	

No.	Name of the Post from which promotion is to be made	*Name of the* post on which promotions is to be made	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(3)Principal Higher Secondary School —Member (4)Assistant. Director —Member Secretary	
7.	Prathmik Shikshak -Music-GayanVadan Prathmik Shikshak Dance (Nrity)	Madhyamik Shikshak -Music-GayanVadan, Nrity	05 years	(1) Joint Director, Public Instruction —Chairperson (2)District Education Officer—Member (3) Principal Higher Secondary School—Member (4) Assistant Director —Member Secretary	Ratio of post to be maintained
8.	Prathmik Shikshak -IT	Madhyamik Shikshak -IT	05 years	(1) Joint Director, Public Instruction —Chairperson	

No.	Name of the Post from which promotion is to be made	*Name of the* post on which promotions is to be made	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(2) District Education Officer —Member (3)Principal Higher Secondary School —Member (4) Assistant. Director —Member Secretary	

Note:

(1) The Madhyamik Shikshak and Primary Shikshak who has received the President's/Governor's Award under the Scheme of National Award/State Award to teachers shall be given out of turn promotion:

Provided that he has obtained the Senior Pay Scale/Time Pay Scale or any other corresponding Higher Pay Scale and is otherwise eligible for promotion.

(2) The Public servant promoted to the post of Principal, High School mentioned in Serial Number 1 of Column (1) shall compulsorily be posted in rural area for three years. The promoted public servant shall have to undergo training for a

month by an institution recognized for awarding diploma certificate in educational management. In addition, leadership training of one month from SIEMAT or Indian Institute of Management, Indore will be required to be required to be undergone. In case of leadership training by SIEMAT, the project implementation module shall be required to be prepared by Indian Institute of Management, Indore or by any other reputed Institute of Management. An additional time of one year shall be given to those promoted public servant who are not able to complete the training successfully. The public servant not completing training successfully despite this opportunity shall be reverted back to the previous post.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. एल. मंडलोई, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2022.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 369] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2024—पौष 6, शक 1946

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2024

क.एफ 1—59/2018/20—1: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, "मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018" में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 5 में उप—नियम 4 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् शिक्षक चयन परीक्षा द्वारा चयन;"।

(2) नियम 8 में,—

(एक) प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द, "शिक्षक पात्रता परीक्षा" के स्थान पर, शब्द, "शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात्, शिक्षक चयन परीक्षा" स्थापित किए जाएं;

(दो) उप—नियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) अभ्यर्थी ने चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त न की हो ;"।

(3) नियम 11 में, उप–नियम 7 में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए; अर्थात्:–

"(ख) रिक्त पदों के लिए क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा, अर्थात्:–

(एक) मध्यप्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे;

(दो) भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे;

(तीन) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार 6 प्रतिशत पद दिव्यांगजन के लिए, केवल प्रारंभिक भर्ती के समय निम्नलिखित से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे–

(क) दृष्टिबाधित और अल्पदृष्टि;

(ख) श्रवण बाधित और कम सुनने वाले;

(ग) लोकोमोटर डिसेबिलेटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन,एसिड अटैक पीड़ित, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सम्मिलित हैं;

(घ) बहुदिव्यांगता, उपरोक्तानुसार का (क), (ख) और (ग) को सम्मिलित करते हुए।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी दिव्यांगता के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत का प्रमाण–पत्र विधिमान्य होगा।)

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–8–2/2013/ए.पी./1 दिनांक 30 जून, 2014 अथवा समय–समय पर इस निमित्त जारी किसी अन्य आदेश के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षण प्रवर्गवार नहीं होगा बल्कि श्रेणीवार होगा। आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण.– दिव्यांग आरक्षण का लाभ न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक की स्थायी विकलांगता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाण–पत्र के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकेगा;

(चार) सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्यप्रदेश

शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। परन्तु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में, रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

स्पष्टीकरण.– न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगें जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होगा;

(पांच) अन्य किसी ऐसे प्रवर्ग के लिए, जैसा कि शासन द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित किया जाए।"।

(4) विद्यमान अनुसूची –एक, अनुसूची–दो, अनुसूची–तीन एवं अनुसूची–चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :–

अनुसूची–एक

(नियम–6 तथा 4 देखिए)

शैक्षणिक संवर्ग

अनुक्रमांक	पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्राचार्य हाईस्कूल / उपप्राचार्य	1114	द्वितीय श्रेणी	9300–34800 + 4200 ग्रेड–पे (सातवां वेतन आयोग में पे–लेवल–10 42700–135100)	आयुक्त लोक शिक्षण	–
2	उच्च माध्यमिक शिक्षक	48223	द्वितीय श्रेणी	9300–34800 + 3600 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–9 36200–114800)	–"तदैव"–	–
3	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	250	द्वितीय श्रेणी	9300–34800 + 3600 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–9 36200–114800)	संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण	–

4	माध्यमिक शिक्षक	99157	तृतीय श्रेणी	9300–34800+3200 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	–"तदैव"–	–
5	माध्यमिक शिक्षक खेल	931	–"तदैव"–	9300–34800+3200 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	–
6	माध्यमिक शिक्षक संगीत(गायन/वादन/नृत्य)	700	–"तदैव"–	9300–34800+3200 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	–"तदैव"–	
7	माध्यमिक शिक्षक सूचना प्रौद्योगिकी आईटी	प्रक्रियाधीन	–"तदैव"–	9300–34800+3200 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	
8	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	250	–"तदैव"–	9300–34800+3200 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	जिला शिक्षा अधिकारी	–
9	प्राथमिक शिक्षक	1,31,152	–"तदैव"–	5200–20200+2400 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–6 25300–80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
10	प्राथमिक शिक्षक खेल	860	–"तदैव"–	5200–20200+2400 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–6 25300–80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
11	प्राथमिक शिक्षक विज्ञान (पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक)	8515	–"तदैव"–	5200–20200+2400 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–6 25300–80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	

12	प्राथमिक शिक्षक संगीत(गायन/ वादन)	635	–"तदैव"–	5200–20200+2400 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–6 25300–80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
13	प्राथमिक शिक्षक नृत्य	254	–"तदैव"–	5200–20200+2400 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–6 25300–80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
14	प्राथमिक शिक्षक– आई. टी .	762	–"तदैव"–	5200–20200+2400 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–6 25300–80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
15	माध्यमिक शिक्षक – फाइन आर्ट , काफ्ट (ड्राइंग एंड पेंटिंग)	254	–"तदैव"–	9300–34800+3200 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	
16	माध्यमिक शिक्षक –फाइन आर्ट, काफ्ट (स्कल्पचर/ मूर्तिकला)	254	–"तदैव"–	9300–34800+3200 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	
17	माध्यमिक शिक्षक – फाइन आर्ट, काफ्ट (ग्राफिक आर्ट)	254	–"तदैव"–	9300–34800+3200 ग्रेड–पे (सातवां वेतनमान में पे–लेवल–8 32800–103600)	संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	

*पद सृर्जन की कार्यवाही प्रकियाधीन है:

अनुसूची–दो
(नियम 5 और 14 देखिए)
शैक्षणिक संवर्ग

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशतता	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्राचार्य हाईस्कूल/ उपप्रपचार्य	1114	––	100 प्रतिशत
2	उच्च माध्यमिक शिक्षक	48223	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत

3	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	250	—	100 प्रतिशत
4	माध्यमिक शिक्षक	99157	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
5	माध्यमिक शिक्षक खेल	931	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
6	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन नृत्य)	700	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
7	माध्यमिक शिक्षक आईटी	0*	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
8	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	250		100 प्रतिशत
9	प्राथमिक शिक्षक	131152	100 प्रतिशत	—
10	प्राथमिक शिक्षक खेल	860	100 प्रतिशत	—
11	प्राथमिक शिक्षक विज्ञान (पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक)	8515	100 प्रतिशत	
12	प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/ वादन)	635	100 प्रतिशत	—
13	प्राथमिक शिक्षक नृत्य	254	100 प्रतिशत	
14	प्राथमिक शिक्षक आईटी	762	100 प्रतिशत	
15	माध्यमिक शिक्षक – फाइन आर्ट , काफ्ट (ड्राइंग एंड पेंटिंग)	254	100 प्रतिशत	
16	माध्यमिक शिक्षक –फाइन आर्ट, काफ्ट (स्कल्पचर/मूर्तिकला)	254	100 प्रतिशत	
17	माध्यमिक शिक्षक – फाइन आर्ट, काफ्ट (ग्राफिक आर्ट)	254	100 प्रतिशत	

*पद स्वीकृति की प्रकिया जारी

(1) जैसे जैसे विभाग के नियमित केडर यथा सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक,व्याख्याता के पदों (डाइंग केडर) पर कार्यरत लोक सेवक सेवानिवृत्त होते जाएंगें वैसे वैसे उनके पद इसमें जुडते जाएंगें।

(2) उच्च माध्यमिक शिक्षक (कृषि) के 100 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेगें।

अनुसूची–तीन
(नियम 8देखिए)

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयुसीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड. अथवा समकक्ष	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 3. संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बी.एड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
2.	माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1.संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष अथवा संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि (बी.एड.)/ बी.एड (विशेष शिक्षा) अथवा संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ एवं इस संबंध में समय समय पर जारी एनसीटीई (मान्यता , मानदण्ड तथा	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2.पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 3.संबंधित विषय से तात्पर्य है कि संबंधित मुख्य विषय का 3 वर्ष तक अध्ययन किया हो। 4. संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्तसंस्थान/विश्वविद्यालय से कॉलम 5 में अंकित अनुसार प्रतिशत के साथ शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त डी.एड/ बी.एड उपाधि धारित करना

अनु क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				कियाविधि)विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक बी.एल.एड.संबधित विषय के साथ अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में चार वर्षीय स्नातक उपाधि बीए बीएड / बीएससी बी एड या बीए एड अथवा बीएससी एड 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	अनिवार्य होगा तथा निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण
3.	प्राथमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1.कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा / विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में

अनु क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				अथवा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा एनसीटीई विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायरसेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड.) अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	विभाग चयन परीक्षा से चयन संबंधी प्रावधान शिथिल कर सकेगा। 3. संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त डी.एलएड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। 4. प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए व्यवसायिक योग्यता–विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (RCI से मान्यता प्राप्त)धारित अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के 5 प्रतिशत अंक बोनस अंक के रूप में प्रदान किए जाएंगें। 5. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण तथा 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (RCI से मान्यता प्राप्त) धारित अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा के रूप में पदस्थापना हेतु पृथक से चयन परीक्षा आयोजित की जा सकेगी।
4.	प्राथमिक शिक्षक विज्ञान (पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक)	21	सामान्य प्रशासन विभाग के	1.कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी –विज्ञान संकाय के साथ या समकक्ष तथा	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के

अनु क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			प्रचलित निर्देशानुसार	प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा /विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा/ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी. एल.एड.) आवश्यक होगा। अथवा अनुक्रमांक 3 पर अंकित योग्यताएं विज्ञान विषय सहित 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा चयन संबंधी प्रावधान शिथिल क सकेगा। 3. ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो हाय सेकेण्डरी परीक्षा विज्ञान विषय वं साथ उत्तीर्ण होंगें उन्हें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा।
5	माध्यमिक शिक्षक खेल	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1.शारीरिक शिक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.ई) अथवा समकक्ष 2.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा।
6	प्राथमिक शिक्षक खेल	21	सामान्य प्रशासन विभाग के	1.मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

अनु क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			प्रचलित निर्देशानुसार	और मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/ बीपीएड/ बीपीई 2.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दीं जाएगी।	2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चय परीक्षा के माध्यम से चयनित होन अनिवार्य होगा।
7	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन)	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी. म्यूज/एम.म्यूज /विद् / कोविद् /रत्न या बी.म्यूज के समकक्ष। 2.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा
8	प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन)	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1.मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन/वादन में डिप्लोमा अथवा बी.म्यूज/ एम. म्यूज/ विद्/ कोविद् /रत्न या बी.म्यूज के समकक्ष।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा

अनु क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2.अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	
9	प्राथमिक शिक्षक नृत्य	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1.मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से नृत्य में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.म्यूज नृत्य/एम.म्यूज नृत्य या समकक्ष 2.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा
10	माध्यमिक शिक्षक –आई टी	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1.न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ई (स्नातक उपाधि)/एम.सी.ए./एम. एस.सी –कंप्यूटर साइंस/ आई.टी/कंप्यूटर इंजीनियरिंग/ सॉफ्टवेअर में 2.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गो तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा

अनु क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	
11	प्राथमिक शिक्षक –आई टी	21	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	1.न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी तथा 3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा डिग्री –कंप्यूटर साइंस/आई.टी/ सॉफटवेअर इंजीनियरिंग 2.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा
12	माध्यमिक शिक्षक – फाइन आर्ट , काफ्ट (ड्राइंग एंड पेंटिंग)	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राइंग एंड पेंटिंग में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा।
13	माध्यमिक शिक्षक –फाइन आर्ट, काफ्ट (स्कल्पचर/मूर्तिकला)	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त संस्थान से मूर्तिकला में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा।
14	माध्यमिक शिक्षक – फाइन आर्ट, काफ्ट (ग्राफिक आर्ट)	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्राफिक आर्ट में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा।

नोट– 1.सीधी भर्ती हेतु आगामी चयन परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली भर्ती में सूची के कमांक 2 एवं 3 पर अंकित माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में NCTE द्वारा समय समय पर शैक्षणिक योग्यताओं में किए गए संशोधनों अनुसार योग्यता मान्य की जाएगी।
2. सभी पदों के लिए शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होने पर ही पात्र माना जाएगा।

अनुसूची–चार
(नियम 14)
शैक्षणिक संवर्ग

सरल क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उच्च माध्यमिक शिक्षक	प्राचार्य हाईस्कूल /उप प्राचार्य	05 वर्ष	(1) आयुक्त लोक शिक्षण–अध्यक्ष (2) संचालक, लोक शिक्षण –सदस्य (3) अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक लोक शिक्षण –सदस्य (4)उप संचालक /सहायक संचालक–सदस्य सचिव	बी.एड अनिवार्य
2	1. माध्यमिक शिक्षक 2. प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शाला)	उच्च माध्यमिक शिक्षक	05 वर्ष	(1) आयुक्त लोक शिक्षण–अध्यक्ष (2)संचालक, लोक शिक्षण –सदस्य (3) अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक लोक शिक्षण –सदस्य (4)उप संचालक /सहायक संचालक–सदस्य सचिव	स्नातकोत्तर उपाधि एवं बीएड योग्यता अनिवार्य
3	माध्यमिक शिक्षक	प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शाला)	05 वर्ष	(1) संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण – अध्यक्ष (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय –सदस्य सचिव (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	–
4	1. प्राथमिक शिक्षक	माध्यमिक शिक्षक	05 वर्ष	(1) संभागीय संयुक्त संचालक–अध्यक्ष।	स्नातक उपाधि

सरल क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
	2.प्राथमिक शिक्षक विज्ञान (पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक) 3. प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला)			(2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय –सदस्य सचिव । (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	एवं बीएड/डीएड योग्यता अनिवार्य
5	प्राथमिक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक विज्ञान (पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक)	प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला)	05 वर्ष	(1)जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी – अध्यक्ष (2)जिला शिक्षा अधिकारी (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय –सदस्य सचिव । (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	–
6	प्राथमिक शिक्षक खेल	माध्यमिक शिक्षक खेल	05 वर्ष	(1) संभागीय संयुक्त संचालक–अध्यक्ष। (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय –सदस्य सचिव । (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	–
7	1. प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन वादन) 2. प्राथमिक शिक्षक नृत्य	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन वादन, नृत्य)	05 वर्ष	(1) संभागीय संयुक्त सचालक–अध्यक्ष। (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय –सदस्य सचिव । (4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय –सदस्य	पदों की संख्या के अनुपात में
8	प्राथमिक शिक्षक आईटी	माध्यमिक शिक्षक आईटी	05 वर्ष	(1) संभागीय संयुक्त संचालक–अध्यक्ष। (2)जिला शिक्षा अधिकारी –सदस्य (3)सहायक संचालक, लोक शिक्षण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय –सदस्य सचिव ।	

सरल क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
				(4) प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय --सदस्य	

टीप–

(1) ऐसे माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक जिन्हे शिक्षकों के राष्ट्रीय/राज्य योजना पुरूस्कार के अधीन राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरूस्कार प्राप्त हो जाने पर उसे वरिष्ठ वेतनमान/क्रमोन्नत वेतनमान अथवा तदस्थानीय उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के उपरांत एवं पदोन्नति के योग्य पाये जाने पर इन नियमों के अधीन पारी बाहर पदोन्नति देय होगी।

(2) कॉलम–1 के अनुक्रमांक–1 पर अंकित प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले लोक सेवक की पदस्थापना अनिवार्य रूप से तीन वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में की जाएगी। इस अवधि में पदोन्नत लोक सेवक को शैक्षणिक प्रबंधन में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्रमाण पत्र देने वाली किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त सीमेट या भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर अथवा अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थाओं से एक माह का नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सीमेट द्वारा यह प्रशिक्षण किये जाने पर परियोजना क्रियान्वयन मॉड्यूल भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से बनवाया जाएगा। इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित पदोन्नत लोक सेवक को एक वर्ष का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण नही करने पर संबंधित लोक सेवक को उसके पदोन्नति के पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

NO. F 1-59/2018/20-1:: In exercise of the powers conferred by article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh School Education Service (Teaching Cadre), Service Conditions and Recruitment Rules, 2018, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

(1) In rule 5, in sub-rule (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) for direct recruitment by selection through teacher selection test after qualifying in teacher eligibility test;".

(2) In rule 8,-

(i) in the opening paragraph for the words "Teacher Eligibility Test", the words after qualifying in the Teacher Eligibility Test ,Teacher Selection Test" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III but must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on January 1 of the year of the advertisement issued for the selection test;".

(3) In rule 11, in sub-rule 7; for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :-

"(b) for vacant posts, the horizontal reservation shall be as follows, namely:-

(i) for each category of vacant posts, 50% posts shall be reserved for women candidates of Madhya Pradesh;

(ii) for each category of vacant posts, 10% posts shall be reserved for ex-servicemen;

(iii) as per the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the Madhya Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, 6% posts shall be reserved for disabled persons, only at the time of initial recruitment for persons suffering from:-

(a) blindness and low vision;

(b) deaf and hard of hearing;

(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) multiple disabilities including (a), (b) and (c), as above.

(Certificate of minimum 40% with permanent disability issued by notified medical authority/medical board shall be valid)

As per letter number F-'8-2/2013/A.P./1 dated 30 June, 2014 of Government of Madhya Pradesh General Administration Department, or any other order issued in this behalf, from time to time, reservation shall not be category wise but shall be

class wise for disabled persons. Reservation shall be given as per the instructions of General Administration Department.

Explanation.- The benefit of disabled reservation can be availed only on the basis of permanent disability with a minimum of 40% or more and a valid certificate issued by the competent authority;

(iv) 50 percent vacancies of the total available vacancies of teachers for direct recruitment shall be reserved for Atithi Shikshak (Guest Teacher) in each category, who have worked as guest teachers in Government schools run by the Government of Madhya Pradesh for a minimum of three academic sessions and a minimum of 200 days. But in case the posts reserved for Guest Teachers are not filled, the vacant posts shall be filled by other eligible candidates.

Explanation.- Minimum 3 academic sessions shall be considered complete only when a minimum of 30 days have been worked as a Guest Teacher in each session. Apart from this, the total teaching experience of all the three sessions shall be a minimum of 200 days;

(v) for any other category as may be notified by the State Government from time to time.".

the existing Schedule-I, Schedule-II, Schedule-III and edule-IV, the following schedules shall be substituted, namely:-

SCHEDULE -I

(see rule 6 and 14)

S. No.	Name of the posts	No. of posts	Classification	Pay-Band	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)
1.	Principal, High School/ Vice Principal	1114	Class-II	9300-34800+4200 Grade Pay Pay level-10 in 7th Pay Commission (42700-135100)	Commissioner, Public Instruction	--do--
2.	Uchch Madhyamik Shikshak	48223	--do--	9300-34800+36OO Grade Pay Pay level-9 in 7th Pay Commission (36200-114800)	--do--	--do--
3.	Head Master, Middle School	250	--do--	9300-34800+3600 Grade Pay Pay level-9 in 7th Pay Commission (36200-114800)	Divisional Joint Director, Public Instruction	--do--
4.	Madhyamik Shikshak	99157	Class-III	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	--do--	--do--
5.	Madhyamik Shikshak - Khel	931	--do--	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	--do--	--do--

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)
6.	Madhyamik Shikshak - Music-GayanVadan /Dance	700	--do--	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	--do--	--do--
7.	Madhyamik Shikshak – Information Technology	0 (under process)*	--do--	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	--do--	--do--
8.	Head Master, Primary School	250	--do--	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	District Education Officer	--do--
9.	Prathmik Shikshak	131152	--do--	5200-20200+2400 Grade Pay Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	--do--	--do--
10.	Prathmik Shikshak - Khel	860	--do--	5200-20200+2400 Grade Pay Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	--do--	--do--

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)
11.	Prathmik Shikshak-Vigyan (Previous designation Prayogshala Shikshak)	8515	--do--	5200-20200+2400 Grade Pay Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	--do--	--do--
12.	Prathmik Shikshak - Music-Gayan/Vadan	635	--do--	5200-20200+2400 Grade Pay Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	--do--	--do--
13.	Prathmik Shikshak - Music-Nrity (Dance)	254	--do--	5200-20200+2400 Grade Pay Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	--do--	--do--
14.	Prathmik Shikshak - Information Technology	762	--do--	5200-20200+2400 Grade Pay Pay level-6 in 7th Pay Commission (25300-80500)	--do--	--do--
15.	Madhyamik Shikshak - Fine Art, Craft (Drawing and Painting)	254	--do--	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	Joint Director, Public Instruction	--do--

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)
16.	Madhyamik Shikshak -Fine Art, Craft (Sculpture)	254	--do--	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	--do--	--do--
17.	Madhyamik Shikshak - Fine Art, Craft (Graphic Art))	254	--do--	9300-34800+3200 Grade Pay Pay level-8 in 7th Pay Commission (32800-103600)	--do--	--do--

Note: * Post creation is under process.

SCHEDULE -II

(see rule 5 and 14)

S.No.	Name of posts	No. of posts	Percentage of posts to be filled in	
			By direct Recruitment [rule 5(4) (a)]	By promotion [rule 5(4) (b)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal, High School/Vice Principal	1114	-	100
2.	Uchch Madhyamik Shikshak	48223	50	50
3.	Head Master MiddleSchool	250	-	100
4.	Madhyamik Shikshak	99157	50	50
5.	Madhyamik Shikshak - Khel	931	50	50
6.	Madhyamik Shikshak - Music-GayanVadan, Nraty(Dance)	700	50	50
7.	Madhyamik Shikshak – Information Technology	0 (under process)*	50	50
8.	HeadMaster Primary. School	250	-	100
9.	Prathmik Shikshak	131152	100	-
10.	Prathmik Shikshak -Khel	860	100	-
11.	Prathmik Shikshak – Vigyan	8515	100	-
12.	Prathmik Shikshak - Music-GayanVadan	635	100	-
13.	Prathmik Shikshak - Music-Nrity(Dance)	254	100	-
14.	Prathmik Shikshak – Information Technology	762	100	-
15.	Madhyamik Shikshak Fine Art, Craft (Drawing and Painting)	254	100	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	Madhyamik Shikshak Fine Art, Craft (Sculpture)	254	100	-
17.	Madhyamik Shikshak Fine Art, Craft (Graphic Art)	254	100	-

Note: * Post creation is under process.

(1) As soon as the public servants working in the regular cadre of the Department such as Assistant Teacher, Upper Division Teacher, Lecturer (in the dyeing cadre) retire, their posts shall be added to it.

(2) 100% posts of Uchch Madhyamik Shikshak (Agriculture) shall be filled by direct recruitment.

SCHEDULE -III

(see rule 8)

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Uchch Madhyamik Shikshak	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	Master's Degree in the relevant subject with second division and Bachelor of Education (B.Ed) or its equivalent.	1. Must have passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it shall be mandatory to be selected through the selection test. 3. In respect of UMS (Sanskrit) of Sanskrit Pathshala, Acharya Degree in Sanskrit Literature/Grammar etc. in second class from a recognized Institute/University shall be the minimum educational qualification. Apart from this, it shall be mandatory to possess B.Ed Degree.
2.	Madhyamik Shikshak	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	Bachelor's Degree in the relevant subject and 2 years Diploma in Elementary Education or its equivalent. OR	1. Must have passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it shall be mandatory to be selected through the selection test.

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Bachelor's Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor in Education (B.Ed.)/ B.Ed. (Special Education). OR Bachelor's Degree in the relevant subject with at least 45% marks and Bachelor in Education (B.Ed.) in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002, or any other instructions issued in this behalf, from time to time. OR Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.).	3. Related subject means that the related main subject has been studied for 3 years during Graduation. 4. In respect of MS (Sanskrit) of Sanskrit Pathshala, Shastri Degree in Sanskrit Literature/Grammar etc. in 50% or 45% (as mentioned in education qualification column) from a recognized Institute/University shall be the minimum educational qualification. Apart from this, it shall be mandatory to possess B.Ed Degree/D.L.ED

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				OR Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 years Bachelor Degree in the relevant subject (B.A.B.Ed./B.Sc. B.Ed or B.A.Ed./B.Sc., Ed.) 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	
3.	Prathmik Shikshak	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	1. Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 years Diploma in Elementary Education/ Diploma in Elementary Education (Special	1. Must have passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it shall be mandatory to be selected through the selection test. In cases of compassionate appointment

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Education) or its equivalent. Or Higher Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2 years Diploma in Elementary Education in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002. OR Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 years Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.). OR Graduation and 2 year Diploma in Elementary Education or its equivalent. Relaxation up to 5% in the	department may relax the compulsion of Teacher Selection Test. 3. In respect of PS (Sanskrit) of Sanskrit Pathshala, Uttar Madhyama in Sanskrit Literature/Grammar etc. with prescribed percentage mentioned in educational qualifications column from a recognized Institute/Board shall be the minimum educational qualification. Apart from this, it shall be mandatory to possess D.El.Ed 4.Professional qualification required for appointment of primary teacher is that the candidates must possess 2 year Diploma in Elementary Education with Special Education RCI Recognised shall be given 5 percent marks as bonus marks of the marks obtained by them in

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	the selection examination. 5. A separate Teacher selection Test may be conducted for candidates who have passed the Teacher Eligibility Test and have a 2 year Diploma in Elementary Education in Special Education (recognized by RCI) for Primary Teachers as Special Educators
4.	Prathmik Shikshak - Vigyan (previous designation- Prayogshala Shikshak)	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	1.Higher secondary with atleast 50% marks in Science faculty. With D.El.Ed /B.El.Ed/Special B.El.Ed or its equivalent OR Qualifications as mentioned in serial number 3 with Science subject 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes,	1. Must have passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it shall be mandatory to be selected through the selection test. In cases of compassionate appointment the Department may relax the compulsion of Techer Selection Test. 3. Such primary teachers who shall have cleared Higher Secondary Examination with Science subject can be posted as Primary Teacher Science

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Other Backward Classes and persons with disabilities.	
5.	Madhyamik Shikshak - Khel	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	B.P.Ed./B.P.E./ Bachelor of Physical Education with at least 50% marks or its equivalent 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	1. Must have passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it shall be mandatory to be selected through the selection test.
6.	PrathmikShikshak -Khel	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	Higher secondary with at least 50% marks and Diploma in Physical Education from any recognized Institution. Or B.P.Ed./B.P.E./ Bachelor of physical education or its equivalent	--do--

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	
7.	Madhyamik Shikshak - Music- Gayan Vadan/ Dance	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	Higher Secondary with at least 50% marks and B Mus. /M.Mus./Vid/ Kovid/ Ratana or equivalent to B Mus. 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	--do--
8.	PrathmikShikshak - Music- Gayan/	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh,	1.Higher secondary with at least 50% marks and Diploma in	--do--

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Vadan		General Administration Department	Gayan Vadan /B Mus. /M.Mus./Vid/ Kovid/ Ratana or equivalent to B Mus. 2.Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	
9.	Prathmik Shikshak - Music-Nrity (Dance)	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	1.Higher secondary with atleast 50% marks and . diploma in Dance /B Mus. Dance/M.Mus. Dance /Vid/Kovid/ Ratana in Dance or equivalent to B Mus Dance 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes,	--do--

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	
10.	Madhyamik Shikshak - Information Technology	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	B.E/Graduation/ Post Graduation in Computer Science / Information Technology /Computer Engineering with at least 50% marks 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	--do--
11.	Prathmik Shikshak - Information Technology	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	1.Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 3 years Diploma /Degree in Computer Science / Information Technology	--do--

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				/software engineering 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities.	
12.	Madhyamik Shikshak Fine Art, Craft (Drawing and Painting)	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	Degree from any recognized Institution in Drawing and Painting or its equivalent	--do--
13.	Madhyamik Shikshak Fine Art, Craft (Sculpture)	21 years	As per instructions of the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department	Degree from any recognized Institution in Sculpture or its equivalent	--do--
14.	Madhyamik Shikshak Fine Art, Craft	21 years	As per instructions of the	Degree from any recognized Institution in	--do--

S. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(Graphic Art)		Government of Madhya Pradesh, General Administrati on Department	Graphic Art or its equivalent	

Note: In relation to the minimum qualification of Madhyamik Shikshak and Prathmik Shikshak mentioned at number 2 and 3 of the Schedule, the educational qualification and professional qualification shall be accepted according to the amendments issued by the NCTE, from time to time .This shall be applicable for candidates of selection test examinations. Candidates shall be considered eligible only if they possess all educational and professional qualifications from a recognized Institute.

SCHEDULE -IV

(see rule 14)

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotion is to be made	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Uchch Madhyamik Shikshak	Principal, High School/Vice Principal	5 years	1. Commissioner, Public Instruction —Chairperson 2. Director, Public instruction — Member 3. Additional Director/Joint Director— Member 4. Deputy Director/ Assistant Director —Member Secretary 5. Class-I/Class-II Officer from the Scheduled Castes/Scheduled Tribes category - Member	Must possess B.Ed Degree
2.	Madhyamik Shikshak HM Madhyamik shala	Uchch Madhyamik Shikshak	5 years	--do--	Must possess Post Graduation Degree with B.Ed
3.	Madhyamik Shikshak	Hm Madhyamik shala	5 years	1. Divisional Joint Director, Public Instruction — Chairperson 2. District Education Officer—Member 3. Principal, Higher Secondary School— Member	Must possess Graduation with B.Ed/D.Ed

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotion is to be made	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				4.Assistant Director— Member Secretary 5.Class-I/Class-II Officer from the Scheduled Castes/Scheduled Tribes category - Member	
4.	1.Prathmik Shikshak 2.Prathmik Shikshak Vigyan (previous designation Prayogshala Shikshak) 3.Headmaster (Prathmik Shala)	Madhyamik Shikshak	5 years	--do--	---
5.	Prathmik Shikshak/Prathmik Shikshak Vigyan (previous designation Prayogshala Shikshak)	Head Master Primary School	5 years	--do--	---
6.	Prathmik Shikshak -Khel	Madhyamik Shikshak - Khel	5 years	--do--	---
7.	Prathmik Shikshak -Music-Gayan/Vadan	Madhyamik Shikshak - Music-Gayan	5 years	--do--	Ratio of post must be maintained

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotion is to be made	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Prathmik Shikshak- Music-Nrity (Dance)	Vadan/ Dance			
8.	Prathmik Shikshak –Information Technology	Madhyamik Shikshak – Information Technology	5 years	--do--	---

Note:

1. The Madhyamik Shikshak and Primary Shikshak who have received the President's/Governor's Award under the Scheme of National Award/State Award to teachers shall be given out of turn promotion:
Provided that he has obtained the Senior Pay Scale/Time Pay Scale or any other corresponding Higher Pay Scale and is otherwise eligible for promotion.

2. The Public servant promoted to the post of Principal, High School mentioned in serial number 1 of Column (1) shall compulsorily be posted in rural area for three years. The promoted public servant shall have to undergo training for a month by an Institution recognized for awarding Diploma certificate in Educational Management. In addition, leadership training of one month from SIEMAT or Indian Institute of Management, Indore shall be required to be undergone. In case of leadership training by SIEMAT, the project implementation module shall be required to be prepared by Indian Institute of Management, Indore or by any other reputed Institute of Management. An additional time of one year shall be given to those promoted public servant who are not able to complete the training successfully. The public servant not completing training successfully despite this opportunity shall be reverted back to the previous post.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल सोलंकी, उपसचिव

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.